इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च 2026–फाल्गुन 22, शक 1947

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का पूर्व में नाम रचित तिवारी था, जिसे परिवर्तित कर सही नाम आदित्य तिवारी (Aditya Tiwari) पिता श्री रीतेश तिवारी कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के समस्त दस्तावेजों में रचित तिवारी लिखा है, उसके स्थान पर सही नाम आदित्य तिवारी (Aditya Tiwari) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(रीतेश तिवारी).

(G-1955)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री तेजस्वी कुर्मी पिता धर्मेन्द्र कुर्मी (TEJASVI KURMI D/o. DHARMENDRA KURMI), निवासी– सतोरिया, कोरजा, सागर (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम तेजस्वनी पिता धर्मेन्द्र (TEJASVNI D/o. DHARMENDRA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके जन्म प्रमाण– पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को उसके सही नाम तेजस्वी कुर्मी पिता धर्मेन्द्र कुर्मी (TEJASVI KURMI D/o. DHARMENDRA KURMI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(धर्मेन्द्र कुर्मी)
पिता– श्री मनीराम कुर्मी.

(G-1956)

नाम परिवर्तन

मैं, मुन्नी देवी, निवासी– 1250, अर्जुन नगर, सी–3/18, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरे पहचान–पत्र में मेरा नाम राज मुनि देवी (RAJ MUNI DEVI) एवं मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम मुन्नी देवी (MUNNI DEVI) है. मैं, दोनों नामों से जानी व पहचानी जाती हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी सरकारी एवं गैर–सरकारी अभिलेखों, पहचान–पत्रों, शैक्षणिक अभिलेखों तथा सभी प्रकार के पत्राचार में मेरा नाम राज मुनि देवी (RAJ MUNI DEVI) के स्थान पर मुन्नी देवी (MUNNI DEVI)के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(राज मुनि देवी)	**(मुन्नी देवी)**
(RAJ MUNI DEVI)	**(MUNNI DEVI)**
	पत्नी– श्री सत्यनारायण गिरी,

(G-1957)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रहलाद गेहानी आ. श्री परमानन्द गेहानी, निवासी–2/43, पंडित दीनदयाल परिसर, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.). मेरा सही नाम पंकज गेहानी है, जो कि सही है एवं आधार कार्ड, पहचान–पत्र व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम प्रहलाद गेहानी दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम पंकज गेहानी के नाम से जाना–पहचाना एवं अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(प्रहलाद गेहानी)	**(पंकज गेहानी)**
	आ.– श्री परमानन्द गेहानी.

(G-1958)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम जानू खा आ. जलाल खां (JANU KHA S/o. JALAL KHA) है. मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम फरहान खां आ. जलाल खां दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. यह दोनों नाम मेरे ही हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम जानू खां आ. जलाल खां (JANU KHA S/o. JALAL KHA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(फरहान खां)	**(जानू खां)**
	(JANU KHA)
	आ.– जलाल खां.

(G-1959)

नाम परिवर्तन

मैं, सावित्री बाई मालवीय पत्नी श्री राजमल मालवीय, निवासी– वार्ड.नं. 85, भोजपुर रोड, दीपड़ी, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा अंग्रेजी व हिन्दी में नाम सुमित्रा बाई मालवीय (SUMITRA BAI MALVIYA). पत्नी राजमल मालवीय (RAJMAL MALVIYA) दर्ज हो गया है मेरे आधार कार्ड मे मेरा नाम त्रुटिवश सुमित्रा बाई मालवीय (SUMITRA BAI MALVIYA) पत्नी राजमल मालवीय (RAJMAL MALVIYA) दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम सावित्री बाई मालवीय (SAVITRI BAI MALVIYA) पत्नी राजमल मालवीय (RAJMAL MALVIYA) के नाम से के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सुमित्रा बाई मालवीय)	**(सावित्री बाई मालवीय)**
(SUMITRA BAI MALVIYA)	**(SAVITRI BAI MALVIYA)**
	पत्नी– राजमल मालवीय
	(RAJMAL MALVIYA).

(G-1960)

नाम परिवर्तन

मैं, राजेश सिंह पुत्र रघुवीर सिंह, निवासी–10/1, सहपुर सुल्तानपुर गुलवाडा, रायसेन (म.प्र.).मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम रनवीर (Ranveer) पुत्र राजेश सिंह (Rajesh Singh) दर्ज है, जो कि गलत है, जबकि उसका सही नाम राजवीर (Rajveer) पुत्र राजेश सिंह (Rajesh Singh) है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को उसके सही नाम राजवीर (Rajveer) पुत्र राजेश सिंह (Rajesh Singh) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(G-1961) **(राजेश सिंह).**

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम मोहम्मद सैफुल्लाह गौरी पिता मोहम्मद इकबाल गौरी (MOHAMMED SAIFULLAH GOURI S/o. MOHAMMED IQUBAL GOURI), निवासी– 1/2, छोटी डाबरी, तिलक मार्ग, गली नं.–11, वार्ड नं.–24 उज्जैन (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड व पैन कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम मोहम्मद सफुल्लाह गौरी पिता मोहम्मद इकबाल गौरी (MOHAMMAD SAFULLAH GOURI S/o. MOHAMMAD IQUBAL GOURI) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मोहम्मद सैफुल्लाह गौरी पिता मोहम्मद इकबाल गौरी (MOHAMMED SAIFULLAH GOURI S/o. MOHAMMED IQUBAL GOURI) है जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों व स्थानीय निवास प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम मोहम्मद सैफुल्लाह गौरी पिता मोहम्मद इकबाल गौरी (MOHAMMED SAIFULLAH GOURI S/o. MOHAMMED IQUBAL GOURI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मोहम्मद सफुल्लाह गौरी)	**(मोहम्मद सैफुल्लाह गौरी)**
(MOHAMMAD SAFULLAH GOURI)	**(MOHAMMED SAIFULLAH GOURI)**
पिता– मोहम्मद इक़बाल गौरी	पिता– मोहम्मद इकबाल गौरी
S/o. MOHAMMAD IQUBAL GOURI.	S/o. MOHAMMED IQUBAL GOURI.

(G-1962)

CHANGE OF NAME

I wish to inform you my name is Nidhi Tiwari D/o. Ajeet Kumar tiwari, R/o- 14 saveriya green city Near phoolbagiya, bairagarh kala Bhopal. Want to change my name from Nidhi Tiwari to Nidhi Malviya for all future purpose My actual name is Nidhi Malviya (After Marriage).

Applicant

(G-1963) **(Nidhi Malviya).**

नाम परिवर्तन

मैं, धन्नो बाई राठी W/o. छिद्दीलाल, निवासी– ग्राम पोनार कला, पोस्ट धारना कला, तह. बरघाट व जिला सिवनी (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि में मेरा नाम सुशीला राठी दर्ज है तथा मेरे परिचय–पत्र (निर्वाचन कार्ड) एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम धन्नो बाई राठी है, जबकि मेरा नाम सुशीला राठी लेख है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम धन्नो बाई राठी है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे भविष्य में धन्नो बाई राठी के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सुशीला राठी)	**(धन्नो बाई राठी).**

(G-1964)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम रतन पिता श्री रम्मू, निवासी– गुगवारा, तहसील वक्सवाहा, जिला छतरपुर (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम रोशनी गिरी पुत्री रतन (ROSHNI GIRI D/o. RATAN) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम शैक्षणिक दस्तावेजों एवं जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को उसके सही नाम नैन्सी गिरि पुत्री श्री रतन (NAINSI GIRI D/o. RATAN) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(रतन)
पिता– श्री रम्मू

(G-1965)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम अरविन्द प्रजापति पिता श्री गोविन्द प्रजापति, निवासी– म.नं. 124, वार्ड नं. 08, सती माता जी के मंदिर के पास, मंदिर पुरा, राधोखेडी, शाजापुर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम अरविन्द्र प्रजापति पिता श्री गोविन्द सिंह (ARVINDR PRJAPATI S/o. GOVIND SINGH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों एवं जाति प्रमाण– पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम अरविन्द प्रजापति पिता श्री गोविन्द प्रजापति (ARVIND PRAJAPATI S/o. GOVIND PRAJAPATI) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अरविन्द्र प्रजापति)	(अरविन्द प्रजापति)
(ARVINDR PRJAPATI)	**(ARVIND PRAJAPATI)**
पिता– श्री गोविन्द सिंह	पिता– श्री गोविन्द प्रजापति
S/o. GOVIND SINGH	S/o. GOVIND PRAJAPATI.

(G-1966)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र हर्ष बघेल पुत्र श्री रामबाबू बघेल, निवासी– ग्राम खामखेडा, कस्बा तहसील व जिला विदिशा (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम विनायक बघेल पुत्र श्री रामबाबू बघेल दर्ज हो गया है, जबकि मेरे पुत्र का सही नाम हर्ष बघेल पुत्र श्री रामबाबू बघेल है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को हर्ष बघेल पुत्र श्री रामबाबू बघेल के नाम से जाना व पहचाना जावेगा.

आवेदक
(रामबाबू बघेल).

(G-1967)

नाम परिवर्तन

मैं, शंकर सिंह पिता श्री नन्हु लाल, निवासी– तहसील बाबई, वार्ड 12, किरारी मोहल्ला, चौरहेत होशंगाबाद (म.प्र). परन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम हाकम सिंह पिता श्री नन्हुलाल (HAKAM SINGH S/o. NANHULAL) अंकित हो गया है जो कि गलत है. मेरा वास्तविक सही नाम वोटर आई.डी. पैन कार्ड, एवं ड्रायविंग लायसेंस में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम शंकर सिंह पिता श्री नन्हु लाल (SHANKAR SINGH S/o. NANHU LAL) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(हाकम सिंह)	(शंकर सिंह)
(HAKAM SINGH)	**(SHANKAR SINGH)**
पिता– श्री नन्हु लाल	पिता– श्री नन्हु लाल
S/o. NANHU LAL	S/o. NANHU LAL.

(G-1968)

नाम परिवर्तन

मैं, अभिषेक चौधरी पुत्र श्री ओमप्रकाश, निवासी–ग्राम बखतगढ, पोस्ट बखतगढ, तहसील बदनावर, जिला धार (म.प्र.). मेरा सही नाम युवराज जाट (Yuvraj Jaat) है, आधार कार्ड एवं समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में त्रुटिवश मेरा नाम अभिषेक चौधरी (Abhishek Choudhary) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त सही नाम युवराज जाट (Yuvraj Jaat) से जाना–पहचाना जाऊंगा एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम रहेगा.

पुराना नाम
(अभिषेक चौधरी)
(Abhishek Choudhary)

नया नाम
(युवराज जाट)
(Yuvraj Jaat)

(G-1969)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम आशारम गुर्जर (Asharam Gurjar) था, जो कि अब परिवर्तित कर आशाराम गुर्जर (Aasharam Gurjar) कर लिया गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे आशाराम गुर्जर (Aasharam Gurjar) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(आशाराम गुर्जर)
(Aasharam Gurjar)
पिता– छज्जुलाल गुर्जर
पता– 110/2–बी, गुरू नगर, विजय नगर,
इन्दौर (म.प्र.).

(G-1970)

उपनाम परिवर्तन

मेरा मेरे पति आकाश अगीचा से माननीय न्यायालय द्वारा विधिवत् विवाह विच्छेद हो जाने से मैं, मेरे पिता वासुदेव बजाज (Vasudeo Bajaj) का उपनाम अपना चुकी हूँ. पूर्व में मेरे पुत्र का नाम रिशान अगीचा (Rishaan Agicha) था, जो कि अब परिवर्तित कर रिशान बजाज माता केतकी बजाज (Rishaan Bajaj S/o. Ketki Bajaj) करना चाहती हूं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को रिशान बजाज (Rishaan Bajaj) के नाम से ही जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(रिशान अगीचा)
(Rishaan Agicha)

नया नाम
(रिशान बजाज)
(Rishaan Bajaj)
माता– केतकी बजाज
निवासी– 37, यशराज इलाइट, श्रीकृष्ण एवेन्यू, फेस–3,
लिम्बोदी, केलोड करताल, जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-1971)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम नितिन खरोटे (Nitin Kharote) है, जो कि मेरी अंकसूची में भी दर्ज है. किन्तु त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम नितिन एस खरोटे (Nitien S Kharote) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे नितिन खरोटे (Nitin Kharote) के नाम से ही जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(नितिन एस खरोटे)
(Nitien S Kharote)

नया नाम
(नितिन खरोटे)
(Nitin Kharote)
पिता– सुरेश खरोटे
निवासी– 123, श्रीकांत पैलेस कॉलोनी, बिचौली हप्सी,
कनाडिया, जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-1972)

उपनाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम रितेश भिंडे (Ritesh Bhinde) था, जो कि परिवर्तित करके रितेश भयड़िया (Ritesh Bhaydiya) कर लिया गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे रितेश भयड़िया (Ritesh Bhaydiya) के नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रितेश भिंडे)	(रितेश भयड़िया)
(Ritesh Bhinde)	**(Ritesh Bhaydiya)**
	पिता– नान भाई भयड़िया
	निवासी– मवडी फलिया, डाबडी, अलीराजपुर,
(G-1973)	जिला– अलीराजपुर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, जितेन्द्र (JITENDRA), पिता बद्रीलाल (BADRILAL), व्यवसाय शासकीय कर्मचारी, वर्तमान पता– महू गांव, महू, जिला इंदौर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड पर त्रुटिवश "आयुष पटेल (AAYUSH PATEL)" नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र पर "आयुष पटेल (AYUSH PATEL)" नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम "आयुष पटेल (AYUSH PATEL)" के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(जितेन्द्र)

(JITENDRA)

(G-1974) पिता– बद्रीलाल.

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम विकाश सिंह (VIKASH SINGH) पिता जोगेंद्र सिंह, निवासी– रणधीर कॉलोनी, गोले का मंदिर, ग्वालियर, जिला ग्वालियर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम शिवम (SHIVAM) पिता जोगेंद्र सिंह दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरा नाम विकाश सिंह (VIKASH SINGH) पिता जोगेंद्र सिंह है, जो मेरे पैन कार्ड व शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में मेरा नाम विकाश सिंह (VIKASH SINGH) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(शिवम)	(विकाश सिंह)
(SHIVAM)	**(VIKASH SINGH).**
(G-1975)	

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम राजेंद्र कुमार (RAJENDRA KUMAR) पिता सुगन प्रसाद, निवासी– सूर्य विहार कॉलोनी, पिंटू पार्क मुरार, ग्वालियर, जिला ग्वालियर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम आकाश बघेल (AKASH BAGHEL) पिता सुगन प्रसाद दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरा नाम राजेंद्र कुमार (RAJENDRA KUMAR) पिता सुगन प्रसाद है, जो मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में मेरा नाम राजेंद्र कुमार (RAJENDRA KUMAR) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(आकश बघेल)	(राजेंद्र कुमार)
(AKASH BAGHEL)	**(RAJENDRA KUMAR).**
(G-1976)	

नाम परिवर्तन

मैं, डॉ. पी. सी. कोठारी पुत्र श्री विजय कुमार कोठारी, निवासी – 61 गुजरपुरा, जुमेराती, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरा पूर्व नाम डॉ पदमचंद कोठारी पुत्र श्री विजय कुमार कोठारी था. मेरी शैक्षणिक अंकसूचियों और म.प्र. स्टेट बार कौंसिल में मेरा यही नाम दर्ज है. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर डॉ पी. सी. कोठारी (Dr P.C. KOTHARI) पुत्र श्री विजय कुमार कोठारी (SHRI VIJAY KUMAR KOTHARI) रख लिया है. मेरे आधार कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड, जिला अधिवक्ता संघ कार्ड, विवाह प्रमाण–पत्र, बैंक पत्नी बच्चों के प्रमाण–पत्र और अन्य दस्तावेजों में मेरा यही नाम दर्ज है. मैं, मेरा सही नाम डॉ पी. सी. कोठारी (Dr P.C. KOTHARI) पुत्र श्री विजय कुमार कोठारी (SHRI VIJAY KUMAR KOTHARI) अपने शासकीय/अशासकीय सभी दस्तावेजों में दर्ज करवाना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम डॉ. पी. सी. कोठारी (Dr P.C. KOTHARI) पुत्र श्री विजय कुमार कोठारी (SHRI VIJAY KUMAR KOTHARI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(डॉ पदमचंद कोठारी)

नया नाम
(डॉ पी.सी. कोठारी)
(Dr P.C. KOTHARI)
पुत्र– श्री विजय कुमार कोठारी
S/o. SHRI VIJAY KUMAR KOTHARI.

(G-1977)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम अनीता रजक (ANITA RAJAK) है, यही नाम मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड, बैंक पासबुक आदि दस्तावेजों में दर्ज है जबकि मेरी रिलायंस लाईफ इंश्योरेंस पॉलिसी में मेरा नाम अनीता (ANITA) दर्ज है. अनीता (ANITA) और अनीता रजक (ANITA RAJAK) मुझ एक ही महिला के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी रिलायंस लाईफ इंश्योरेंस पॉलिसी में मेरा नाम अनीता (ANITA) के स्थान पर अनीता रजक (ANITA RAJAK) दर्ज किया जावे एवं भविष्य में मुझे अनीता रजक (ANITA RAJAK) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(अनीता)
(ANITA)

नया नाम
(अनीता रजक)
(ANITA RAJAK)
पत्नी– श्री अशोक रजक
निवासी– ग्राम उपराराखास, टीकमगढ़ (म.प्र.).

(G-1978)

नाम परिवर्तन

मैं, अभिषेक कुमार त्रिपाठी पिता श्री अखिलेश त्रिपाठी, जो आधार कार्ड में त्रुटिपूर्ण अंकित है जो गलत है. जबकि वर्तमान में 10वीं की अंकसूची एवं मतदाता परिचय–पत्र में अभिषेक त्रिपाठी दर्ज है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम अभिषेक त्रिपाठी पिता श्री अखिलेश त्रिपाठी के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(अभिषेक कुमार त्रिपाठी)

नया नाम
(अभिषेक त्रिपाठी)
पिता– श्री अखिलेश त्रिपाठी
निवासी– ग्राम/पोस्ट भैंसवार,
तहसील कोठी, जिला सतना (म.प्र.).

(G-1979)

नाम परिवर्तन

मैं, निर्मला उपाध्याय पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद उपाध्याय, पुत्री श्री अयोध्या प्रसाद पाराशर, निवासी–54 मानिक विलास, रेलवे स्टेशन के पास, गांधी रोड ग्वालियर, मेरा विवाह से पूर्व नाम सावित्री देवी था, विवाह पश्चात मेरा नाम निर्मला उपाध्याय हो गया था. मेरे अन्य दस्तावेज पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि में मेरा नाम निर्मला उपाध्याय ही अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे निर्मला उपाध्याय (NIRMALA UPADHYAY) पत्नी राजेन्द्र प्रसाद उपाध्याय के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सावित्री देवी)	**(निर्मला उपाध्याय).**

(G-1980)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम विष्णु बाथम (Vishnu Batham) पुत्र श्री केशव प्रसाद (Keshav Prasad) है. मेरी 8वीं की अंकसूची पर मेरा सही नाम विष्णु बाथम (Vishnu Batham) पुत्र श्री केशव प्रसाद (Keshav Prasad) लिखा हुआ है. मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश के कारण मेरा नाम रिंकू पुत्र श्री केशव प्रसाद लिखा हुआ है, जो कि मेरा गलत नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में सही नाम विष्णु बाथम (Vishnu Batham) पुत्र श्री केशव प्रसाद (Keshav Prasad) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रिंकू) पुत्र– श्री केशव प्रसाद	**(विष्णु बाथम)** **(Vishnu Batham)** पुत्र– श्री केशव प्रसाद (Keshav Prasad) पता– काली माता मंदिर के पास, नर्मदा कॉलोनी, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1981)

नाम परिवर्तन

मैं, शैलेश कुमार जैन पिता स्व श्री राजेन्द्र कुमार जैन, निवासी– 236–A/2, गंजिपुरा, जबलपुर (म.प्र.). मेरी पुत्री कुमारी माही जैन के कुछ शासकीय एवं अर्द्धशासकीय दस्तावेजों तथा अंकसूचियों (Mark Sheets) में मेरे नाम के स्थान पर "शैलेश जैन" अंकित हो गया है. "शैलेश जैन" और "शैलेश कुमार जैन" एक ही व्यक्ति हैं तथा मेरा सही एवं पूर्ण नाम "शैलेश कुमार जैन" है. अतः भविष्य में सभी स्थानों एवं दस्तावेजों में मेरा नाम "शैलेश कुमार जैन" ही लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(शैलेश जैन)	(शैलेश कुमार जैन) पिता– स्व. श्री राजेन्द्र कुमार जैन.

(G-1982)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म का नाम ''शिव शक्ति स्टोन'' जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 06–09–01–0092–23, दिनांक 18 दिसम्बर 2023 एवं फर्म का पता– 146, ग्राम मुंगवारी, सागर रोड, छतरपुर (म.प्र.) 471001 में स्थित है. जिसमें पूर्व से तीन पक्षकार श्री शशिकांत अग्निहोत्री पिता श्री हरिओम अग्निहोत्री, श्री रवि कांत अग्निहोत्री पिता श्री हरिओम अग्निहोत्री एवं श्रीमति रश्मि तिवारी पिता श्री केशव प्रसाद तिवारी थे तथा आज दिनांक 15 दिसम्बर 2025 को श्री शशिकांत अग्निहोत्री पिता श्री हरिओम अग्निहोत्री, श्री रवि कांत अग्निहोत्री पिता श्री हरिओम अग्निहोत्री अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये हैं तथा इनके स्थान पर आज दिनांक को ही साक्षी नायक पिता श्री सनद कुमार नायक, आयु 27 वर्ष, निवासी–1428, निवासी बिहाइंड ए टू जेड बिल्डिंग, शिवाजी नगर, झांसी उत्तर प्रदेश 284001 एवं श्री आकाश अग्निहोत्री पिता श्री हरिओम, आयु 27 वर्ष, निवासी– 148, दिकोली, दिकोली, छतरपुर (म.प्र.) 471301 भागीदारी फर्म में सम्मलित हो रहे हैं.

मेसर्स शिव शक्ति स्टोन

रश्मि तिवारी

(भागीदार).

(G-1983)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि फर्म का नाम " M/s Virat enterprise & company" जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 06–09–01–0142–24, दिनांक 19 मार्च 2024 एवं फर्म का पता म.नं. 13/3 सदर बाजार, सागर (म.प्र.) 470002 में स्थित है. जिसमें पूर्व से दो पक्षकार श्री श्याम बिहारी श्रीवास्तव पिता श्री छोटेलाल श्रीवास्तव एवं श्री अब्दुल सोहेल पिता श्री अब्दुल गफ्फार शेख हैं तथा आज दिनांक 15 जनवरी 2026 को श्री मुकुल श्रीवास्तव पिता श्री श्याम बिहारी श्रीवास्तव आयु 19 वर्ष, निवासी– म.नं. 13/3, सदर बाजार, सागर (म.प्र.) भागीदारी फर्म में सम्मलित हो गये हैं तथा आज दिनांक 15 जनवरी 2026 को ही श्री अब्दुल सोहेल पिता श्री अब्दुल गफ्फार शेख अपनी स्वेच्छा से भागीदारी फर्म से प्रथक हो गये है.

M/s. Virat enterprise & company

श्याम बिहारी श्रीवास्तव

(भागीदार).

(G-1984)

नाम परिवर्तन

मैं, दीपचंद अग्रवाल पुत्र भगवान दास अग्रवाल, निवासी– सी–168, न्यू मिनाल रेसीडेन्सी, जे.के. रोड, फेस–4, भोपाल (म.प्र.). मेरी रेलवे की सेवा पंजिका (Service Record) में मेरा नाम दीपचंद एवं पिता का नाम भगवान दर्ज है एवं मेरे आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में मेरा नाम दीपचंद अग्रवाल पुत्र भगवान दास अग्रवाल (Dipchand Agarwal S/o. Bhagwan Das Agarwal) अंकित है. उक्त दोनों नाम मुझ एक ही व्यक्ति के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में मेरा सही नाम दीपचंद अग्रवाल पुत्र भगवान दास अग्रवाल (Dipchand Agarwal S/o. Bhagwan Das Agarwal) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(दीपचंद)

पुत्र– भगवान

नया नाम

(दीपचंद अग्रवाल)

(Dipchand Agarwal)

पुत्र– भगवान दास अग्रवाल

S/o. Bhagwan Das Agarwal.

(G-1985)

नाम परिवर्तन

मैं, भंगी बाई, निवासी– मकान नं. 54/4, भदभदा रोड, बडझिरी, झागरिया, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम भगवती बाई (BHAGVATI BAI) अंकित हो गया है. जो कि गलत है. मेरे परिचय–पत्र में भंगी बाई (BHANGI BAI) सही नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम भंगी बाई (BHANGI BAI) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(भगवती बाई)	**(भंगी बाई)**
(BHAGVATI BAI)	**(BHANGI BAI).**

(G-1986)

नाम परिवर्तन

मैं, बाबू सिंह मेरी पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरी पुत्री का नाम स्वीटी राजपूत (SWITI RAJPOOT) गलत अंकित हो गया है. मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों में नन्दा राजपूत (NANDA RAJPOOT) सही नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का सही नाम नन्दा राजपूत (NANDA RAJPOOT) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(बाबू सिंह)
पता– ग्राम ऐंचदा, पोस्ट ऐंचदा,
तहसील नटेरन, जिला विदिशा (म.प्र.).

(G-1987)

नाम परिवर्तन

मैं, नन्हा सिंह गौड़, मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम एन.एस. ठाकुर (N. S. THAKUR) गलत अंकित हो गया है. मेरे स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों में नन्हा सिंह गौड़ (NANHA SINGH GOUND) सही नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम नन्हा सिंह गौड़ (NANHA SINGH GOUND) के नाम से सभी शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(एन.एस. ठाकुर)	**(नन्हा सिंह गौड़)**
(N. S. THAKUR)	**(NANHA SINGH GOUND)**
	पता– म.नं. 04, गांधी वॉर्ड,
	देवरी, जिला सागर (म.प्र.).

(G-1988)

नाम परिवर्तन

मैं, दातार सिंह किरार, मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम तरूण धाकड़ (TARUN DHAKAD) गलत अंकित हो गया है. मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों में तनिश किरार (TANISH KIRAR) सही नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का सही नाम तनिश किरार (TANISH KIRAR) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(दातार सिंह किरार)
पता– म.नं. 12/22, ग्राम देहरी,
नौलस, जिला विदिशा (म.प्र.).

(G-1989)

नाम परिवर्तन

मैं, रीतेश कुमार जैन मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम अनर्ग जैन (ANARG JAIN) अंकित हो गया है. अतः मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र, में अनर्घ जैन (ANARGH JAIN) सही नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम अनर्घ जैन (ANARGH JAIN) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(अनर्ग जैन)
(ANARG JAIN)

नया नाम
(अनर्घ जैन)
(ANARGH JAIN)
पता– 92, सिद्धार्थ नगर,
केसरबाग रोड, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1990)

नाम परिवर्तन

मैं, कैलाश मेरी पुत्री के आधार कार्ड में नाम त्रुटिवश जनक दुलारी (Janak Dulari) अंकित हो गया है जो कि गलत है. मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में उसका नाम झनकदुलारी (Jhanakdulari) अंकित है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में उसका सही नाम झनकदुलारी (Jhanakdulari) के नाम से लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक
(कैलाश)
पता– ग्राम ताईखेड़ा, बैतूल (म.प्र.).

(G-1991)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम विरेन्द्र सिंह ठाकुर आ. श्री उपेन्द्र सिंह, निवासी– 10/11, प्रगति नगर, नानाखेड़ा बस स्टैंड के पास, उज्जैन (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम अग्रिमा ठाकुर पुत्री श्री विरेन्द्र सिंह ठाकुर (AGRIMA THAKUR D/o. VIRENDRA SINGH THAKUR) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके जन्म प्रमाण– पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का नाम अमायरा ठाकुर पुत्री श्री विरेन्द्र सिंह ठाकुर (AMAYRA THAKUR) D/o. VIRENDRA SINGH THAKUR) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक
(विरेन्द्र सिंह ठाकुर)
आ.– श्री उपेन्द्र सिंह.

(G-1992)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम धीरजी मईडा पिता कालिया मईडा, निवासी– 86, ग्राम परवाडा, भामल, थांदला, झाबुआ, (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम धिरजी पिता श्री कालिया (GHIRAJI S/o. KALIYA) अंकित हो गया है जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे वोटर आई.डी. कार्ड एवं मूल निवासी प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम धीरजी मईडा पिता कालिया मईडा (DHIRJI MAIDA S/o. KALIYA MAIDA) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी
(धीरजी मईडा)
पिता– कालिया मईडा.

(G-1993)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम श्रीवि रघुवंशी (SRIVI RAGHUVANSHI) पिता संदीप रघुवंशी (SANDEEP RAGHUVANSHI) है जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र पर अंकित है. किन्तु मेरी पुत्री के आधार कार्ड पर त्रुटिवश उसका नाम साँईश्री रघुवंशी (SAISRI RAGHUWANSHI) दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री के सभी दस्तावेजों पर उसका सही नाम श्रीवि रघुवंशी (SRIVI RAGHUVANSHI) पिता संदीप रघुवंशी (SANDEEP RAGHUVANSHI) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(संदीप रघुवंशी)
पता– दुर्गा माता मंदिर के नजदीक चांद,
खापा बिहारी, छिन्दवाड़ा (म.प्र.).

(G-1994)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम माया रानी अग्रवाल (MAYA RANI AGRAWAL) पति स्व. श्री घनश्यामदास अग्रवाल है, जो कि मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड एवं पैन कार्ड पर दर्ज है किन्तु मेरे कुछ शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों पर त्रुटिवश मेरा नाम माया देवी (MAYA DEVI) पति श्री घनश्यामदास अग्रवाल दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य मे मेरे सभी दस्तावेजों पर माया देवी के स्थान पर माया रानी अग्रवाल (MAYA RANI AGRAWAL) पति स्व. श्री घनश्यामदास अग्रवाल के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(माया देवी)
(MAYA DEVI)

नया नाम

(माया रानी अग्रवाल)
(MAYA RANI AGRAWAL)
पति– स्व. श्री घनश्यामदास अग्रवाल
पता– 78/2, बियाबानी धार रोड,
इन्दौर (म.प्र.).

(G-1995)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम लाल सिंह डांगी (LAL SINGH DANGI) पिता उदेराम है, जो की मेरे कुछ शासकीय/ अशासकीय दस्तावेजों पर दर्ज है, किन्तु मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश मेरा नाम गोवर्धन लाल (GOVARDHAN LAL) पिता उदेराम दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर मेरा सही नाम लाल सिंह डांगी (LAL SINGH DANGI) पिता उदेराम के नाम से जाना–पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम

(गोवर्धन लाल)
(GOVARDHAN LAL)

नया नाम

(लाल सिंह डांगी)
(LAL SINGH DANGI)
पिता– उदेराम
पता– म.नं. 81, वार्ड नं. 5, विशन्या,
जिला मन्दसौर (म.प्र.).

(G-1996)

नाम परिवर्तन

पूर्व मे मेरा नाम आशीष यादव (ASHISH YADAV) पिता मोहन सिंह यादव था, जो मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर अंकित है किन्तु मैंने अपना नाम परिवर्तित कर आशीष यादव (AASHISH YAADAV) पिता मोहन सिंह यादव कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी दस्तावेजों पर मेरा परिवर्तित नाम आशीष यादव (AASHISH YAADAV) पिता मोहन सिंह यादव के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(आशीष यादव)	**(आशीष यादव)**
(ASHISH YADAV)	**(AASHISH YAADAV)**
	पिता– मोहन सिंह यादव
	पता– जी 2, साकेत अपार्टमेंट, साकेत नगर
	जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-1997)

नाम परिवर्तन

पूर्व मे मेरा नाम नरेश कुमार (NARESH KUMAR) पिता श्री चंद था, जो मेरे कुछ शासकीय/ अशासकीय दस्तावेजों पर दर्ज है, किन्तु मैंने अपना नाम परिवर्तित कर रवि नागपाल (RAVI NAGPAL) पिता श्री चंद कर लिया है, जो मेरे आधार कार्ड एवं पैन कार्ड पर अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी दस्तावेजों पर नरेश कुमार के स्थान पर मेरा सही नाम रवि नागपाल (RAVI NAGPAL) पिता श्री चंद के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(नरेश कुमार)	**(रवि नागपाल)**
(NARESH KUMAR)	**(RAVI NAGPAL)**
	पिता– श्री चंद
	पता– 131, पैलेस कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1998)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम रवि प्रताप सिंह (RAVI PRATAP SINGH) पिता अवधेश प्रताप सिंह है, जो की मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर दर्ज है, किन्तु मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश मेरा नाम रवि प्रताप सिंह (RAVI PRATHAP SINGH) पिता अवधेश प्रताप सिंह दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी दस्तावेजों पर मेरा सही नाम रवि प्रताप सिंह (RAVI PRATAP SINGH) पिता अवधेश प्रताप सिंह के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रवि प्रताप सिंह)	**(रवि प्रताप सिंह)**
(RAVI PRATHAP SINGH)	**(RAVI PRATAP SINGH)**
	पिता– अवधेश प्रताप सिंह
(G-1999)	पता– पिपरच्छा, लौलाछा, सतना (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

विवाह पूर्व मेरा नाम नम्रता तनवानी (NAMRATA TANWANI) पिता जवाहरलाल तनवानी था, जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों पर अंकित है. श्री सुनील किंगर से विवाह के उपरान्त मेरा नाम अंशु किंगर (ANSHU KINGER) पति सुनील किंगर हो गया है, जो मेरे पैन कार्ड, आधार कार्ड एवं वोटर कार्ड पर अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी दस्तावेजों पर मेरा सही नाम अंशु किंगर (ANSHU KINGER) पति सुनील किंगर के नाम से जाना– पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(नम्रता तनवानी)	**(अंशु किंगर)**
(NAMRATA TANWANI)	**(ANSHU KINGER)**
	पति– सुनील किंगर
	पता– हाऊस नं. 16, स्कीम नं. 101,
(G-2000)	माणिक बाग रोड, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम कमलेश नागपाल (KAMLESH NAGPAL) पिता श्री चंद था, जो मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर दर्ज है, किन्तु मैंने अपना नाम परिवर्तित कर कांतेश नागपाल (KANTESH NAGPAL) पिता श्री चंद कर लिया है, जो मेरे आधार कार्ड एवं पैन कार्ड पर अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी दस्तावेजों पर कमलेश नागपाल के स्थान पर मेरा परिवर्तित नाम कांतेश नागपाल (KANTESH NAGPAL) पिता श्री चंद के नाम से जाना–पहचाना व दर्ज, किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(कमलेश नागपाल)	**(कांतेश नागपाल)**
(KAMLESH NAGPAL)	**(KANTESH NAGPAL)**
	पिता– श्री चंद
(G-2001)	पता– 131, पैलेस कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम वंसुधरा सेन (VASUNDHARA SEN) पति जितेन्द्र कुमार सेन है, जो की मेरे वोटर कार्ड एवं आधार कार्ड पर दर्ज है, किन्तु मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर त्रुटिवश मेरा नाम कौशल्या सेन (KAUSHALYA SEN) पति जितेन्द्र कुमार सेन दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी दस्तावेजों पर मेरा सही नाम वंसुधरा सेन (VASUNDHARA SEN) पति जितेन्द्र कुमार सेन के नाम से जाना– पहचाना व दर्ज, किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(कौशल्या सेन)	**(वंसुधरा सेन)**
(KAUSHALYA SEN)	**(VASUNDHARA SEN)**
	पति– जितेन्द्र कुमार सेन
	पता– एच.एच. 9, न्यू मल्टी, बिरलाग्राम
	नागदा, उज्जैन (म.प्र.).
(G-2002)	

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम आर्यन चतुर्वेदी (AARYAN CHATURVEDI) पिता रितेश चतुर्वेदी (RITESH CHATURVEDI) माता अपर्णा चतुर्वेदी (APARNA CHATURVEDI) है, जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र पर अंकित है. किन्तु मेरे पुत्र के शैक्षणिक दस्तावेजों पर माता का नाम त्रुटिवश स्वाती चतुर्वेदी (SWATI CHATURVEDI) दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के सभी दस्तावेजों पर उसका सही नाम आर्यन चतुर्वेदी (AARYAN CHATURVEDI) पिता रितेश चतुर्वेदी (RITESH CHATURVEDI) माता अपर्णा चतुर्वेदी (APARNA CHATURVEDI) के नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(आर्यन चतुर्वेदी)	**(आर्यन चतुर्वेदी)**
पिता– रितेश चतुर्वेदी	पिता– रितेश चतुर्वेदी
माता– स्वाती चतुर्वेदी	माता– अपर्णा चतुर्वेदी
	पता– 151, रिषी नगर, विधुर नगर, इन्दौर (म.प्र.).

(G-2003)

नाम परिवर्तन

मैं, सुशीला देवी प्रजापति पत्नी श्री बैजनाथ प्रजापति, निवासी– रेही, ग्राम रेही, पोस्ट रेही, रीवा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में भूलवश मेरा नाम धनपतिया प्रजापति (DHANPATIYA PRAJAPATI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम वोटर आई.डी. कार्ड में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम सुशीला देवी प्रजापति (SUSHILA DEVI PRAJAPATI) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(धनपतिया प्रजापति)	**(सुशीला देवी प्रजापति)**
(DHANPATIYA PRAJAPATI)	**(SUSHILA DEVI PRAJAPATI)**
	पति– श्री बैजनाथ प्रजापति.

(G-2004)

नाम परिवर्तन

मैं, भगवान सिंह पिता श्री मोहन लाल, निवासी–ग्राम शाहजहापुर, खेखेड़ा, दोराहा सीहोर (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में नाम त्रुटिवश कुमकुम पिता श्री भगवान सिंह (KUMKUM S/o. BHAGWAN SINGH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम सालिनी गुर्जर पिता श्री भगवान सिंह (SALINI GURJAR S/o. BHAGWAN SINGH) है जो कि मेरे पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र व 8वीं कक्षा की अंकसूची में दर्ज है, मैं, अपनी पुत्री के आधार कार्ड में दर्ज करवाना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का सही नाम सालिनी गुर्जर पिता श्री भगवान सिंह (SALINI GURJAR S/o. BHAGWAN SINGH) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(भगवान सिंह)
पिता– श्री मोहन लाल.

(G-2005)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम अशोक कुमार पिता कन्हैया लाल, निवासी– वार्ड नं. 13, कुमाहार मोहल्ला, राधाकृष्णा मंदिर के पास, सीहोर, सीहोर (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम सिया पिता अशोक कुमार (SIYA C/o. ASHOK KUMAR) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उंसके जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजो में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का सही नाम सिया ढोलीवाल पिता अशोक कुमार ढोलीवाल (SIYA DHOLIWAL D/o. ASHOK KUMAR DHOLIWAL) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(अशोक कुमार)
पिता– कन्हैया लाल.

(G-2006)

उपनाम परिवर्तन

मेरा नाम महेश दत्तात्रेय धामोले पिता श्री दत्तात्रेय धामोले, निवासी– 183, खजूरी कलां रोड, ए–सेक्टर, गोपाल नगर, पिपलानी, हुजूर भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा उपनाम महेश दत्तात्रेय पिता श्री दत्तात्रेय धामोले (MAHESH DATTATRAY S/o. DATTATRAY DHAMOLE) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही उपनाम मेरे समस्त दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा उपनाम महेश दत्तात्रेय धामोले पिता श्री दत्तात्रेय धामोले (MAHESH DATTATRAY DHAMOLE S/o. DATTATRAY DHAMOLE) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(महेश दत्तात्रेय)	**(महेश दत्तात्रेय धामोले)**
(MAHESH DATTATRAY)	**(MAHESH DATTATRAY DHAMOLE)**
	पिता– श्री दत्तात्रेय धामोले
	S/o. DATTATRAY DHAMOLE.

(G-2007)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम देवेन्द्र वटके पिता श्री भाऊराव वटके, निवासी– ग्राम खम्बारा, पोस्ट–चिल्हाटी, चिल्हाटी बैतूल (म.प्र.). मेरी पुत्री के शैक्षणिक दस्तावेजो में त्रुटिवश नाम नैतिज्ञा पिता श्री देवेन्द्र (NAITIGYA D/o. DEVENDRA) अंकित हो गया है जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके आधार कार्ड में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का सही नाम नैतिज्ञा वटके पिता श्री देवेन्द्र वटके (NAITIGYA WATKE D/o. DEVENDRA WATKE) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(देवेन्द्र वटके)

पिता– श्री भाऊराव वटके.

(G-2008)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम सत्यनारायण (SATYANARAYAN) पिता भोंदुसिंह, निवासी– 7 ग्राम कमलापुर, तहसील गोहद, भिंड, जिला भिंड (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड मे त्रुटिवश मेरा नाम नारायण दास त्यागी (NARAYAN DAS TYAGI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम सत्यनारायण (SATYANARAYAN) पिता भोंदुसिंह है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में मेरा सही नाम सत्यनारायण (SATYANARAYAN) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(नारायण दास त्यागी)	**(सत्यनारायण)**
(NARAYAN DAS TYAGI)	**(SATYANARAYAN).**

(G-2009)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम राधेश्याम सिंह (RADHESHYAM SINGH) पिता हरी सिंह है. मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम राधे बगेल (RADHE BAGEL) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम राधेश्याम सिंह (RADHESHYAM SINGH) पिता हरी सिंह है, जो कि उसके जन्म प्रामाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है. अत प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम राधेश्याम सिंह (RADHESHYAM SINGH) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(हरी सिंह)

पता– ग्राम सेंड (खेरिया), पोस्ट भगवासा,
सद्खेरिया गोहद, जिला भिंड (म.प्र.).

(G-2010)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम राजेश सिंह (RAJESH SINGH) पिता प्रकाश, निवासी– वार्ड नं. 13, गोरमी, भिंड, जिला भिंड (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड मे त्रुटिवश मेरा नाम कंचन कोरी (KANCHAN KORI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम राजेश सिंह (RAJESH SINGH) पिता प्रकाश है. अत प्रकाशन उपरान्त सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में मेरा सही नाम राजेश सिंह (RAJESH SINGH) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(कंचन कोरी)	(राजेश सिंह)
(KANCHAN KORI)	**(RAJESH SINGH).**

(G-2011)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम हरिओम शर्मा पिता श्री शिवनारायण शर्मा, निवासी– म.नं. 48/2 वार्ड नं. 11, खैर खेडी, ग्राम पंचायत–कजलिया, पोस्ट तोराई, कजलिया, तोरे गुना (म.प्र.). मेरे पुत्र के में आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम (YESH C/o. HRIOM SHARMA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम यश शर्मा पिता हरिओम शर्मा (YASH SHARMA S/o. HARIOM SHARMA) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(हरिओम शर्मा)
पिता श्री शिवनारायण शर्मा.

(G-2012)

नाम परिवर्तन

मैं, पूनम कुमार पुत्री श्री राजेश कुमार, निवासी– 398, बंगाली कॉलोनी, पंचशील नगर, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश पूनम सिंघानिया पत्नी श्री संदीप सिंघानिया (POONAM SINGHANIYA W/o. SANDEEP SINGHANIYA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम पूनम कुमार पुत्री श्री राजेश कुमार (POONAM KUMAR D/o. RAJESH KUMAR) है जो कि मेरे वोटर आई.डी. में दर्ज है, जिसे मैं, अपने आधार कार्ड में दर्ज करवाना चाहती हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम पूनम कुमार पुत्री श्री राजेश कुमार (POONAM KUMAR D/o. RAJESH KUMAR) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(पूनम सिंघानिया)	(पूनम कुमार)
(POONAM SINGHANIYA)	**(POONAM KUMAR)**
पत्नी– श्री संदीप सिंघानिया	पुत्री– श्री राजेश कुमार
W/o. SANDEEP SINGHANIYA	D/o. RAJESH KUMAR.

(G-2013)

नाम परिवर्तन

मैं, मोहन एल भानुशाली (MOHAN L BHANUSHALI) पुत्र श्री कल्याणजी भानुशाली मेरा पूर्व का नाम मोहन लाल (MOHAN LAL) था, जो मेरे ड्राइविंग लाईसेंस में लिखा गया है, जबकि मेरा सही नाम मोहन एल भानुशाली है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में मुझे मोहन एल भानुशाली के नाम से जाना–पहचाना जावे.

प्रार्थी
(मोहन एल भानुशाली)
पुत्र– श्री कल्याणजी भानुशाली
पता– 00, वार्ड नं. 15, जैन मंदिर के पास,
नई आबादी, छिन्दवाड़ा (म.प्र.).

(G-2014)

नाम परिवर्तन

मैं, आशा मेहता (ASHA MEHTA) पत्नी श्री फूलसिंह मेहता, मेरा पूर्व का नाम श्रीमती बासन्ती बाई (SRIMATI BASANTI BAI) था. जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में लिखा गया है, जो कि गलत है. जबकि वर्तमान एवं भविष्य में सही नाम आशा मेहता है. मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं बैंक पासबुक में लिखा गया है. आशा मेहता एवं श्रीमती बासन्ती बाई दोनों मेरे ही नाम हैं. अत प्रकाशन उपरान्त मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में मेरा नाम श्रीमती बासन्ती बाई के स्थान पर आशा मेहता लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(बासन्ती बाई)

नया नाम
(आशा मेहता)
पत्नी– श्री फूलसिंह मेहता
पता– जैन मंदिर के पास न्यू एक्टेंशन एरिया,
गांधी गंज के पीछे, छिंदवाडा (म.प्र.).

(G-2015)

नाम परिवर्तन

मैं, नितिन सोनी पिता श्री रमेश सोनी, मेरे पुत्र युवराज सोनी के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम धनराज सोनी (DHANRAJ SONI) दर्ज हो गया है, जबकि जन्म प्रमाण–पत्र एवं मार्कशीट में युवराज सोनी (YUVRAJ SONI) है एवं समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरे पुत्र का नाम युवराज सोनी (YUVRAJ SONI) है. धनराज सोनी (DHANRAJ SONI) एवं युवराज सोनी (YUVRAJ SONI) दोनों ही नाम मेरे पुत्र के है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को उसके सही नाम युवराज सोनी के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक
(नितिन सोनी)
पता– जालपा देवी वार्ड जालपा,
मंदिर के पास कटनी, जिला कटनी (म.प्र.).

(G-2016)

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the firms- " M/s. Angvastra Style" of GV-08, Windsor Hills, Sirol Road, Gird, Gwalior, Madhya Pradesh Vide Registration No. 02-42-01-0249-25, dated 27-10-2025 has undergone reconstitution in the partnership, whereby it has changed its registered office address to 3090 Raghvendra Nagar Near Hanuman Mandir Gwalior (M.P.) w-e-f 18-11-2025 and from the same date partner Mrs. Vandana Jaiswal, Mr. Pranjal Pawaiya, Miss. Mahima Pawaiya are retiring from the firm and Mrs. Vaishali Shivhare, Mr. Nikunj Shivhare are joining the Firm as partner. Please all be informed.

M/s. Angvastra Style

Nikunj Shivhare
(Partner)

(G-2017)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मेसर्स श्री श्याम स्टोन क्रेशर जो C/o प्रेमलता शर्मा, हाउस नंबर 3, गालव नगर, बहोड़ापुर, ग्वालियर (म.प्र.) में स्थित है जिसका पंजीयन क्रमांक 02–42–01–0123–20 दिनांक 02 सितम्बर 2020 है. जिसमें दिनांक 16 फरवरी 2026 को भागीदार प्रेमलता शर्मा पत्नी श्री हेमंत शर्मा को सभी भागीदारों से सहमति एवं स्वेच्छा से पृथक् किया जा रहा है एवं इसी दिनांक 16 फरवरी 2026 को नितिन शर्मा पुत्र श्री सुरेश चंद शर्मा को फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित किया जा रहा है एवं इसी दिनांक 16 फरवरी 2026 से फर्म का नवीन पता– फ्लैट नंबर 201, कृष्णा अपार्टमेंट, चौबीस बीघा कॉलोनी, गालव नगर, बहोडापुर, ग्वालियर (म.प्र.) हो गया है.

मेसर्स श्री श्याम स्टोन क्रेशर

प्रज्ञा शर्मा
(भागीदार)
पता– फ्लैट नंबर 201, कृष्णा अपार्टमेंट, चौबीस बीघा कॉलोनी,
गालव नगर, बहोडापुर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2018)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम कमलादेवी शर्मा (KAMLADEVI SHARMA) है, यही नाम मेरे पति के पेंशन पेमेन्ट आर्डर (पी.पी.ओ) आदि में दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम कमलेश तिवारी (KAMLESH TIWARI) दर्ज है. कमलादेवी शर्मा (KAMLADEVI SHARMA) और कमलेश तिवारी (KAMLESH TIWARI) दोनों नाम मुझ एक ही महिला के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम कमलेश तिवारी (KAMLESH TIWARI) के स्थान पर कमलादेवी शर्मा (KAMLADEVI SHARMA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(कमलेश तिवारी)
(KAMLESH TIWARI)

नया नाम

(कमलादेवी शर्मा)
(KAMLADEVI SHARMA)
पत्नी– स्व. श्री रमेश चन्द्र शर्मा
निवासी– बालाजी विहार कॉलोनी,
गुडी गुडा का नाका, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2019)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम रविन्द्र गुर्जर (RAVINDRA GURJAR) है, यही नाम मेरे शैक्षणिक दस्तावेज, जन्म प्रमाण–पत्र आदि में दर्ज है. जबकि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम रतीराम गुर्जर (RATIRAM GURJAR) दर्ज हो गया हैं. रविन्द्र गुर्जर (RAVINDRA GURJAR) और रतीराम गुर्जर (RATIRAM GURJAR) दोनों नाम मुझ एक ही व्यक्ति के है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम रतीराम गुर्जर (RATIRAM GURJAR) के स्थान पर रविन्द्र गुर्जर (RAVINDRA GURJAR) के नाम से लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(रतीराम गुर्जर)
(RATIRAM GURJAR)

नया नाम

(रविन्द्र गुर्जर)
(RAVINDRA GURJAR)
पुत्र– अतिबल सिंह
निवासी– ग्राम बागवाला गांव, पोस्ट डबका,
जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2020)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम ध्रुव राज (DHRUV RAJ) है, यही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों, जन्म प्रमाण–पत्र आदि में दर्ज है, जबकि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम ध्रुराज (DHRURAJ) दर्ज हो गया है. ध्रुव राज (DHRUV RAJ) और ध्रुराज (DHRURAJ) दोनों नाम मेरे पुत्र के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में उसका सही नाम ध्रुराज (DHRURAJ) के स्थान पर ध्रुव राज (DHRUV RAJ) पुत्र नवल किशोर राज के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(नवल किशोर राज)
पुत्र– दीनदयाल राज
निवासी– सूर्य नगर, गल्ला कोठार, थाटीपुर,
ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2021)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम सारदेव जाटव (SARDEV JATAV) है, यही नाम मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों, जाति प्रमाण–पत्र आदि में दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम रामनिवास जाटव (RAMNIVAS JATAV) दर्ज हो गया है. सारदेव जाटव (SARDEV JATAV) और रामनिवास जाटव (RAMNIVAS JATAV) दोनों नाम मुझ एक ही व्यक्ति के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम रामनिवास जाटव (RAMNIVAS JATAV) के स्थान पर सारदेव जाटव (SARDEV JATAV) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(रामनिवास जाटव)
(RAMNIVAS JATAV)

नया नाम
(सारदेव जाटव)
(SARDEV JATAV)
निवासी–वार्ड नं. 02, जाटव बस्ती, बिलौआ,
आंतरी, जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2022)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम गजेंद्र बाथम (GAJENDRA BATHAM) है, यही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों, जन्म प्रमाण–पत्र आदि में दर्ज है, जबकि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम राजेंद्र बाथम (RAJENDRA BATHAM) दर्ज हो गया है. गजेंद्र बाथम (GAJENDRA BATHAM) और राजेंद्र बाथम (RAJENDRA BATHAM) दोनों नाम मेरे पुत्र के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में उसका नाम राजेंद्र बाथम (RAJENDRA BATHAM) के स्थान पर गजेंद्र बाथम (GAJENDRA BATHAM) पुत्र महेश कुमार के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(महेश कुमार)
पुत्र– नत्तु बाथम
निवासी–183, न्यू रेशम मिल, प्रगति नगर,
बिरला नगर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2023)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स जानकी बिल्डकोन जो AADARSH COLONY, GOLE KA MANDIR, GIRD, GWALIOR, (म.प्र.) में स्थित है. जिसका पंजीयन क्र. 02–42–01–0129–24 एवं दिनांक 26 जुलाई 2024 है, जिसमें दिनांक 12 जनवरी 2026 को भागीदार श्री आशीष पान्डे पुत्र श्री प्रेम नारायण पांडे, निवासी– कुरोली पी एस कुंटोड, जालून, (उ.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 12 जनवरी 2026 को श्री सादिक खान पुत्र श्री बशीम खांन, निवासी– सहीद सिधिंया कोठी, कटोराताल, मेडीकल कॉलेज रोड, लश्कर, ग्वालियर, (म.प्र.) फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं.

मैसर्स जानकी बिल्डकोन

प्रतीक सिंह
(भागीदार)
ADD.- AADARSH COLONY, GOLE KA MANDIR,
GIRD, GWALIOR (M.P.).

(G-2024)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मेसर्स यूनिवर्सल फूड आईएनसी जो वार्ड नंबर 9, नियर कॉलेज, श्योपुर (म.प्र.) में स्थित है, जिसका पंजीयन क्रमांक 02–45–01–0080–25 दिनांक 02 जून 2025 है. जिसमें दिनांक 05 सितम्बर 2025 को भागीदार रविन्द्र कुमार पुत्र श्री नत्थीराम की मृत्यु हो जाने के कारण फर्म से सभी अन्य भागीदारों की सहमति से प्रथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक से इन्ही के भाई के स्थान पर नरेश कुमार पुत्र श्री नत्थीराम को फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित किया जा रहा है.

मेसर्स यूनिवर्सल फूड आईएनसी

दिलबाग सिंह
(भागीदार)
पता– वार्ड नंबर 9, नियर कॉलेज, श्योपुर (म.प्र.).

(G-2025)

नाम परिवर्तन

मैं, राजकुमार शर्मा (RAJKUMAR SHARMA) पुत्र श्री रामदीन शर्मा, मेरे पैन कार्ड, आधार कार्ड व बैंक पासबुक इत्यादि में लिखा गया है, जबकि मेरे रिलायंस लाइफ इंस्योरेंस कि पोलिसी में मेरा नाम राजकुमार शर्मा के स्थान पर गलती से राजकुमार (RAJKUMAR) लिख गया है. वर्तमान एवं भविष्य में राजकुमार शर्मा के नाम से जाना–पहचाना जाता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे रिलायंस लाइफ इंस्योरेंस पोलिसी में मेरा नाम राजकुमार के स्थान पर राजकुमार शर्मा लिखा एवं पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(राजकुमार)

नया नाम

(राजकुमार शर्मा)
पुत्र– श्री रामदीन शर्मा
पता– हिंगोना खुर्द. मुरैना (म.प्र.).

(G-2026)

नाम परिवर्तन

मैं, आस्था पमनानी (ASTHA PAMNANI) पत्नी श्री पवन पमनानी, मेरा विवाह पूर्व का नाम उर्वशी भिरयानी (URVASHI BHIRYANI) था, जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, आस्था पमनानी के नाम से जानी–पहचानी जाती हूँ. मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं मैरिज सर्टिफिकेट में लिखा गया है. आस्था पमनानी एवं उर्वशी भिरयानी दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम उर्वशी भिरयानी के स्थान पर आस्था पमनानी लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(उर्वशी भिरयानी)

नया नाम

(आस्था पमनानी)
पत्नी– श्री पवन पमनानी
पता– राय सिंह का बाग, शिवम कॉलोनी,
रॉक्सी, गिर्द, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2027)

नाम परिवर्तन

मैं, अनुष्का चोहान (ANUSHKA CHOHAN) पुत्री श्री शिवराम सिंह चौहान, मेरा घर का नाम दिव्यांसी चोहान (DIVYANSHI CHOHAN) है, जो कि मेरी माताजी मनीसा चोहान के भारतीय जीवन बीमा पोलिसी के नोमिनेशन में लिखा गया है .वर्तमान एवं भविष्य में मैं, अनुष्का चोहान पुत्री श्री शिवराम सिंह चोहान के नाम से जानी–पहचानी जाती हूँ. मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं बैंक पासबुक इत्यादि में लिखा गया है. अनुष्का चोहान एवं दिव्यांसी चौहान दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी माताजी मनीसा चोहान के भारतीय जीवन बीमा पोलिसी के नोमिनेशन में मेरा नाम दिव्यांसी चोहान के स्थान पर अनुष्का चोहान लिखा–पढ़ा, व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(दिव्यांसी चौहान)

नया नाम

(अनुष्का चोहान)
पुत्री– श्री शिवराम सिंह चोहान
पता– कन्या पाठ शाला रोड, अम्बा मुरैना (म.प्र.).

(G-2028)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री के आधार कार्ड एवं समग्र आई.डी. में मेरी पुत्री का नाम पुरवा चौकसे PURVA CHOUKSEY लिखा है, जबकि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों एवं बैंक खाते में मेरी पुत्री का नाम पूर्वी चौकसे PURVI CHOUKSEY दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का सही नाम पूर्वी चौकसे PURVI CHOUKSEY के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(रेखा चौकसे)
पति– अनिल चौकसे
निवासी– म. नं. 215, वार्ड नं. 05, मस्जिद के पास,
डोईफोडिया, तहसील खकनार, जिला बुरहानपुर (म.प्र.).

(G-2029)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स सेज अर्थ, कार्यालय पता– 250, सागर प्लाजा, एम.पी. नगर, जोन 2, भोपाल (म.प्र). जिसका पंजीयन क्रमांक 01–01–01–00485–23, दिनांक 27 फरवरी 2023 जिसमे भागीदार श्री संजीव अग्रवाल आत्मज स्व. श्री एस. के. अग्रवाल एवं श्रीमती किरण अग्रवाल पत्नी श्री संजीव अग्रवाल थे, जिसमे दिनांक 07 जुलाई 2025 को श्री अभिनव अग्रवाल पुत्र श्री अरुण अग्रवाल, निवासी– A 110 शाहपुरा, A सेक्टर, भोपाल (म.प्र.) को बतोर भागीदार शामिल किया गया है.

मेसर्स सेज अर्थ

(संजीव अग्रवाल)

(भागीदार).

(G-2030)

नाम परिवर्तन

मैं, सुखेद्र सिंह आत्मज स्व. श्री महेन्द्र सिंह, निवासी–मं.नं. 15 ग्राम दौरा, पोस्ट टिकेत कला, तहसील चुरहट, जिला सीधी (म.प्र). मेरी अंकसूची में दर्ज नाम सुखेंद्र सिंह बघेल (SUKHENDRA SINGH BAGHEL) और अन्य दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिचय–पत्र एवं सर्विस रिकार्ड में दर्ज नाम सुखेंद्र सिंह (SUKHENDRA SINGH) दर्ज हैं. दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मुझे सही नाम सुखेंद्र सिंह (SUKHENDRA SINGH) के नाम से ही जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(सुखेंद्र सिंह बघेल)

(SUKHENDRA SINGH BAGHEL)

नया नाम

(सुखेंद्र सिंह)

(SUKHENDRA SINGH).

(G-2031)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम प्रज्ञा गुप्ता पिता श्री कंछेदी लाल, निवासी– मडगुला, पोस्ट मडगुला, तहसील गाडरवाडा, जिला नरसिंगपुर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम पूजा गुप्ता पिता श्री कंछेदीलाल गुप्ता (POOJA GUPTA D/o. KANCHEDILAL GUPTA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम प्रज्ञा गुप्ता पिता श्री कंछेदी लाल (PRAGHYA GUPTA D/o. KANCHHEDI LAL) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(पूजा गुप्ता)

(POOJA GUPTA)

पिता– श्री कंछेदीलाल गुप्ता

(D/o. KANCHEDILAL GUPTA)

नया नाम

(प्रज्ञा गुप्ता)

(PRAGHYA GUPTA)

पिता– श्री कंछेदी लाल

(D/o. KANCHHEDI LAL).

(G-2032)

जाहिर सूचना

निवेदन है कि फर्म मेसर्स भगवती इंटरप्राइजेज में 20 मार्च 2020 से श्रीमती सावित्री सिंह, श्री रितेश रघुवंशी, श्रीमती अनुसुइया असाटी, श्री सुमित अग्रवाल, श्री लालजी पटेल को फर्म का आगीदार बनाया गया तथा फर्म के भागीदार श्री अरुण प्रताप सिंह को फर्म की भागीदारी से हटाया गया.

फर्म में 02 जुलाई 2020 से श्री केशव जायसवाल एवं श्री दिलीप कुमार राय को फर्म का भागीदार बनाया गया.

फर्म में 27 मई 2021 से श्री राजीव जायसवाल को फर्म का भागीदार बनाया गया तथा फर्म से श्री सुमित अग्रवाल एवं श्री लालजी पटेल को हटाया गया.

फर्म में 31 मार्च 2022 से श्रीमती सावित्री सिंह, श्री रितेश रघुवंशी, श्री केशव जायसवाल एवं श्री दिलीप कुमार राय एवं श्री राजीव जायसवाल को हटाया गया.

फर्म में 01 अप्रैल 2022 से श्रीमती दीपमाला सिंह एवं श्रीमती अनुसुइया असाटी ही भागीदार हैं.

मेसर्स भगवती इंटरप्राइजेज

1. **दीपमाला सिंह,**
2. **अनुसुइया असाटी**

(पार्टनर).

(G-2033)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्टर्ड फर्म M/S IDEAL SLEEP INDUSTRIES, पता– 1471, ARIHANT DECOR KAMLA NEHRU NAGAR YADAV COLONY, JABALPUR (M.P.). Reg. No. 04–14–01–0062–20 सन् 2020–2021 Date 22-Jul-2020 द्वारा दिनांक 10 अगस्त 2020 को Shri Hari Om Nayak S/o. Shri Ram Swaroop Nayak, पता – Ward No 30, Mahaveer Colony, Old Panna Naka, Chhatarpur (M.P.) भागीदारी फर्म में सम्मिलित किया गया एवं दिनांक 10 अगस्त 2020 को भागीदार Shri Ranjit Singh S/o. Shri Sukhdeo Singh, पता– 3149, Behind St Joseph Convent, Ranjhi, Monegaon, Jabalpur, (M.P.) भागीदारी फर्म से पृथक् हुए. दिनांक 31 जुलाई 2021 को Shri Hari Om Nayak S/o. Shri Ram Swaroop Nayak, पता – Ward No 30, Mahaveer Colony, Old Panna Naka, Chhatarpur (M.P.) भागीदारी फर्म से पृथक् हुए.

M/S IDEAL SLEEP INDUSTRIES

Ankit Jain

(Partner)

Add– 1471, ARIHANT DECOR KAMLA NEHRU NAGAR, YADAV COLONY, JABALPUR (M.P.).

(G-2034)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम स्वपनील आत्मज श्री पीतमलाल (SWAPNEEL S/o. SHRI PEETAMLAL), निवासी– वार्ड नं. 11, सहेकी, पोस्ट कालीमाटी, तह. लांजी, जिला बालाघाट (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे एंव मेरे पिता के नाम के बाद उपनाम भालाधरे अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम स्वपनील आ. श्री पीतमलाल (SWAPNEEL S/o. SHRI PEETAMLAL) है. मेरा सही नाम मेरी अंकसूचियों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम स्वपनील आ. पीतमलाल (SWAPNEEL S/o. SHRI PEETAM LAL) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(स्वपनील भालाधरे)	(स्वपनील)
(SWAPNEEL BALADHARE)	**(SWAPNEEL)**
आत्मज– श्री पीतमलाल भालाधरे	आत्मज– श्री पीतमलाल
;S/o. SHRI PEETAMLAL BALADHARE)	(S/o. SHRI PEETAMLAL).

(G-2035)

उपनाम परिवर्तन

पूर्व में मैं, कुरेश अंसारी पिता मेहमूद अंसारी (Quresh Ansari S/o. Mehmood Ansari) के नाम से जाना पहचाना जाता था, मैंने अपना नाम परिवर्तित कर रेहान अंसारी पिता मेहमूद अंसारी (Rehan Ansari S/o. Mehmood Ansari) कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे परिवर्तित नाम रेहान अंसारी पिता मेहमूद अंसारी (Rehan Ansari S/o. Mehmood Ansari) के नाम से ही जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(कुरेश अंसारी)
(Quresh Ansari)

नया नाम

(रेहान अंसारी)
(Rehan Ansari)
निवासी– 3/2, हाजी कॉलोनी, खजराना, इंदौर

(G-2036)

नाम परिवर्तन

मैं, कृतिराज सिंह पिता बलवीर सिंह, निवासी– वार्ड नं. 03, ग्राम लिम्बावास, तहसील मल्हारगढ, जिला मंदसौर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश कृष्णपाल सिंह (KRISHNAPAL SINGH) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम कृतिराज सिंह (KRITIRAJ SINGH) दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड एवं सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में मेरा सही नाम कृतिराज सिंह पिता बलवीर सिंह (KRITIRAJ SINGH S/o. BALVEER SINGH) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(कृष्णपाल सिंह)
(KRISHNAPAL SINGH)

नया नाम

(कृतिराज सिंह)
(KRITIRAJ SINGH)

(G-2037)

नाम परिवर्तन

मैं, दुलीचंद लोधा आत्मज मांगीलाल लोधा, निवासी– म. नं.–265, वार्ड नं.–15, इंनद्रा कॉलोनी, कुंभराज, तहसील कुम्मराज, जिला गुना (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम महेंक लोधा दर्ज है, जो कि गलत है, जबकि उसके जन्म प्रमाण–पत्र में उसका सही नाम मयंक लोधा (MAYANK LODHA) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को सरकारी व अ सरकारी दस्तावेजों में मेरे पुत्र को मयंक लोधा (MAYANK LODHA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(दुलीचंद लोधा)
आत्मज– मांगीलाल लोधा.

(G-2038)

नाम परिवर्तन

मैं, करण वाधवा पुत्र राजेश कुमार वाधवा, निवासी– 761/2, ऐपी आर कॉलोनी, बिल्हेरी, जन्ता विघालय के पास मण्डला रोड, जबलपुर (म.प्र.). मेरे नाम से भारतीय जीवन बीमा निगम की पालिसी है, जिसमें मेरा नाम पियुष वाधवा अंकित है. मेरे समस्त शैक्षणिक एंव शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम करण वाधवा पुत्र राजेश कुमार वाधवा अंकित है. यह दोनों नाम मेरे स्वयं के ही हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम करण वाधवा (Karan Wadhwa) पुत्र राजेश कुमार वाधवा (Rajesh Kumar Wadhwa) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(पियुष वाधवा)

नया नाम

(करण वाधवा)
(Karan Wadhwa)
पुत्र– राजेश कुमार वाधवा
(S/o. Rajesh Kumar Wadhwa).

(G-2039)

उपनाम परिवर्तन

मेरा सही नाम योगिता पाटील है, जो मेरे आधार कार्ड में दर्ज है. किन्तु अंकसूची में मेरा नाम योगिता पिता खुश्याल दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों में सही नाम योगिता पाटील के नाम से जाना–पहचाना जावे.

प्रार्थिनी

(योगिता पाटील)

पता– मलगांव, बंगारधा, बंगार्दा,
खरगौन (म.प्र.).

(G-2040)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम उर्विल पाटीदार (URVIL PATIDAR) पिता अमरीश है जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची में दर्ज है जो कि सही है. परन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम कृतिक (KRITIK) पिता अमरीश दर्ज हो गया है जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में उसके आधार कार्ड एवं अन्य सभी दस्तावेजों में उसका सही नाम उर्विल पाटीदार (URVIL PATIDAR) पिता अमरीश के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(अमरीश)

(G-2041) निवासी– ग्राम भालूखेड़ा, तह. व जिला शाजापुर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरा नाम चरणसिंह (CHARAN SINGH) पिता मधोकुवर मेवाडा है, जो कि मेरे स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र एवं वोटर कार्ड में दर्ज है जो कि सत्य है, परन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम रामचरण मेवाडा (RAMCHARAN MEWADA) पिता माधोकुवर मेवाडा दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे आधार कार्ड एवं सभी दस्तावेजों पर मेरा सही नाम चरणसिंह (CHARAN SINGH) पिता मधोकुवर मेवाडा के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों मे दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(रामचरण मेवाडा)
(RAMCHARAN MEWADA)

नया नाम

(चरणसिंह)
(CHARAN SINGH)
पिता– मधोकुवर मेवाडा
निवासी– ग्राम कोन्टा तहसील मो बडोदिया,
जिला शाजापुर (म.प्र.).

(G-2042)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम मोनिका साधवानी (MONIKA SADHWANI) है, यही नाम मेरे पुराने आधार कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज, पासपोर्ट आदि में दर्ज है, जबकि आधार कार्ड अपडेट कराते समय त्रुटिवश उसमें मेरा नाम पलक चौधरी (PALAK CHOUDHARY) दर्ज हो गया है. मोनिका साधवानी (MONIKA SADHWANI) और पलक चौधरी (PALAK CHOUDHARY) दोनों नाम मुझ एक ही महिला के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम पलक चौधरी (PALAK CHOUDHARY) के स्थान पर मोनिका साधवानी (MONIKA SADHWANI) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(पलक चौधरी)
(PALAK CHOUDHARY)

नया नाम

(मोनिका साधवानी)
(MONIKA SADHWANI)
पत्नी– अमित चौधरी
निवासी– 201, शांति लोक अपार्टमेंट,
हरिनिर्मल टॉकीज के पास, लश्कर ग्वालियर (म.प्र.)

(G-2043)

उपनाम परिवर्तन

मैं, सोनाली रहड़वे पति हितेश रहड़वे, निवासी– खापा खतेड़ा, जिला बैतूल (म.प्र.).आधार कार्ड में मेरा नाम सोनाली पटवारी द्वारा राजकुमार पटवारी दर्ज हो गया है, जो कि मेरे विवाह के पूर्व का नाम है जिसे परिवर्तित करके विवाह उपरान्त मेरा सही नाम सोनाली रहड़वे (SONALI RAHADAVE) पति हितेश रहड़वे (HITESH RAHADAVE) है, जो की मेरे वोटर आई. डी. कार्ड एवं विवाह प्रमाण–पत्र में दर्ज है, जिसे मैं, अपने आधार कार्ड/शासकीय/अशासकीय दस्तावेजो में दर्ज कराना चाहती हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे सोनाली रहड़वे (SONALI RAHADAVE) पति हितेश रहड़वे (HITESH RAHADAVE) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सोनाली पटवारी)	**(सोनाली रहड़वे)**
द्वारा– राजकुमार पटवारी	**(SONALI RAHADAVE)**
	पति– हितेश रहड़वे
	(HITESH RAHADAVE).

(G-2044)

उपनाम परिवर्तन

मैं, हर्ष मेहतो पिता अनिल कुमार मेहतो, निवासी– गोंडी पुरा, शिवाजी वॉर्ड, बेतूल बाजार, जिला बैतूल (म.प्र.). मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं की अंकसूची में मेरा नाम हर्ष वर्मा पिता अनिल वर्मा (HARSH VERMA S/o. ANIL VERMA) दर्ज है, जिसमें मेरा उपनाम वर्मा को हटा कर उपनाम मेहतो दर्ज कराना चाहता हूँ. मेरे आधार कार्ड में मेरा सही नाम हर्ष मेहतो (HARSH MEHTO) पिता अनिल कुमार मेहतो (ANIL KUMAR MEHTO) दर्ज है जो कि सही है. मेरे आधार कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम हर्ष मेहतो (HARSH MEHTO) पिता अनिल कुमार मेहतो (ANIL KUMAR MEHTO) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(हर्ष वर्मा)	**(हर्ष मेहतो)**
(HARSH VERMA)	**(HARSH MEHTO)**
पिता– अनिल वर्मा	पिता– अनिल कुमार मेहतो
S/o. ANIL VERMA	S/o. ANIL KUMAR MEHTO.

(G-2045)

नाम परिवर्तन

मैं, आयुष सेन (AYUSH SEN) आत्मज श्री संतोष कुमार सेन, निवासी–9/23, श्याम नगर, बोर्ड कॉलोनी, थाना हबीबगंज के पास भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश कृष्ण कुमार सेन (KRISHN KUMAR SEN) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे जन्म प्रमाण–पत्र, एवं शैक्षणिक दस्तावेजों पर आयुष सेन (AYUSH SEN) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजों में सही नाम आयुष सेन (AYUSH SEN) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(आयुष सेन)

आत्मज– श्री संतोष कुमार सेन

(G-2046)

नाम परिवर्तन

मैं, धनजी निनामा पिता जेमाल निनामा, निवासी– खालखण्डवी, तहसील मेघनगर, जिला झाबुआ (म.प्र.). मेरा नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश धनीया पिता जेमाल दर्ज हो गया है जो कि गलत है. मेरा सही नाम धनजी निनामा (DHANJI NINAMA) पिता जेमाल निनामा (JEMAL NINAMA) है जो कि मेरे स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र में दर्ज है. जिसको मैं, अपने शासकीय/अशासकीय सभी दस्तावेजों में दर्ज कराना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम धनजी निनामा (DHANJI NINAMA) पिता जेमाल निनामा (JEMAL NINAMA) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(धनीया) पिता– जेमाल	(धनजी निनामा) **(DHANJI NINAMA)** पिता– जेमाल निनामा (JEMAL NINAMA).

(G-2047)

नाम परिवर्तन

मैं, चिंता बाई पति दामोदर, निवासी– 101 ग्राम आदमपुर तह. हंडिया जिला हरदा (म.प्र.). मेरा नाम त्रुटिवश आधार कार्ड में केशु बाई जाट पति दामोदर जाट दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम चिंता बाई (CHINTA BAI) पति दामोदर (DAMODAR) है, जो कि मेरे वोटर आई.डी. कार्ड में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे चिंता बाई (CHINTA BAI) पति दामोदर (DAMODAR) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(केशु बाई जाट) पति– दामोदर जाट	(चिंता बाई) **(CHINTA BAI)** पति– दामोदर (DAMODAR).

(G-2048)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम गुडिया पाल है. जो कि उसके समस्त दस्तावेजो में अंकित है. मेरी पुत्री का नाम त्रुटिवश कनक पाल अंकित हो गया था. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को गुडिया पाल के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(कनक पाल)	(गुडिया पाल)

(G-2049)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम एवं योगेश मेवाडा (YOGESH MEWADA) अंकित हो गया है एवं मेरे पुत्र के अन्य दस्तावेज अंक सूची, जन्म प्रमाण–पत्र, समग्र.आई.डी. में नैतिक मेवाडा (NAITIK MEWADA) पुत्र हेमसिंह अंकित है जो कि सही नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को नैतिक मेवाडा (NAITIK MEWADA) पुत्र हेमसिंह के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(हेम सिंह)
पुत्र– श्री आलम सिंह
निवासी– ग्राम मगरखेड़ा, तहसील श्यामपुर,
जिला सीहोर (म.प्र.).

(G-2050)

नाम परिवर्तन

मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम गुडिया सेन (GUDIYA SEN) पुत्री हरिनारायण सेन नाम अंकित हो गया है एवं मेरे अंकसूची, जन्म प्रमाण–पत्र समग्र आई.डी. बैंक पास बुक मे राधा सेन (RADHA SEN) पुत्री हरिनारायण नाम अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम राधा सेन (RADHA SEN) पुत्री हरिनारायण के नाम से जाना व पहचाना जावे.

प्रार्थिनी

(राधा सेन)

पुत्री– हरिनारायण सेन

निवासी– ग्राम अरन्या, तहसील ब्यावरा,

जिला राजगढ (म.प्र.).

(G-2051)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम पुष्पा अहिरवार पत्नी जस्पाल अहिरवार (PUSPA AHIRWAR W/o. JASPAL AHIRWAR), निवासी– रोय कॉलोनी के आगे, शिवाजी वार्ड, मकरोनिया मुहाल, सागर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम रेखा अहिरवार पत्नी जस्पाल अहिरवार (REKHA AHIRWAR W/o. JASPAL AHIRWAR) अंकित हो गया हैं, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे पति के आर्मी की सर्विस रिकॉर्ड में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम पुष्पा अहिरवार पत्नी जस्पाल अहिरवार (PUSPA AHIRWAR W/o. JASPAL AHIRWAR) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रेखा अहिरवार)	**(पुष्पा अहिरवार)**
(REKHA AHIRWAR)	**(PUSPA AHIRWAR)**
	पत्नी– जस्पाल अहिरवार
	W/o. JASPAL AHIRWAR.

(G-2052)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम जाकिर खान पिता चांद खान (JAKIR KHAN S/o. CHAND KHAN), निवासी– पीली खदान, आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम नावेद रहमान पिता फजल कुरैशी (NAVED RAHMAN S/o. FAJAL KURAISHI) अंकित हो गया हैं, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे आयकर विभाग कार्ड व ड्रायविंग लायसेंस कार्ड में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम जाकिर खान पिता चांद खान (JAKIR KHAN S/o. CHAND KHAN) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(नावेद रहमान)	**(जाकिर खान)**
(NAVED RAHMAN)	**(JAKIR KHAN)**
पिता– फजल कुरैशी	पिता– चांद खान
S/o. FAJAL KURAISHI	S/o. CHAND KHAN.

(G-2053)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम हीना देवी पति दोलत राम, निवासी– 386/387, खातीवाला टैंक भक्ति, प्रिया मेन रोड, इन्दौर, जिला इन्दौर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम लक्ष्मी पति दोलत राम (LAXMI W/o. DAULAT RAM) अंकित हो गया हैं, जो कि गलत है. मेरा सही नाम राशन कार्ड में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम हीना देवी पति दोलत राम (HEENA DEVI W/o. DAULAT RAM) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे..

पुराना नाम	नया नाम
(लक्ष्मी)	**(हीना देवी)**
(LAXMI)	**(HEENA DEVI)**
	पति– श्री दोलत राम
	(W/o. DAULAT RAM)

(G-2054)

नाम परिवर्तन

मैं, गंधर्व सिंह आत्मज श्री रघूवीर सिंह, निवासी– ग्राम अगरियाकला, पोस्ट अगरियाकला, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरे पुत्र का सही नाम दिव्यांश सिंह (DIVYANSH SINGH) है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम हर्षित (HARSHIT) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को उसके सही नाम दिव्यांश सिंह (DIVYANSH SINGH) के नाम से जाना–पहचाना एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(गंधर्व सिंह)

आत्मज– श्री रघूवीर सिंह.

(G-2055)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम रोहणी सवनेर पत्नी श्री अजय सवनेर, निवासी– 172, खाटूश्याम मोहल्ला, पुंजापुरा, देवास (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम आयुष सोलंकी (AYUSH SOLANKI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम वोटर आई.डी. तथा शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम रोहणी सवनेर पत्नी श्री अजय सवनेर (ROHNI SAVNER W/o. AJAY SAVNER) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(आयुष सोलंकी)	**(रोहणी सवनेर)**
(AYUSH SOLANKI)	**(ROHNI SAVNER)**
	पत्नी– श्री अजय सवनेर
	W/o. AJAY SAVNER.

(G-2056)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम रामसिंह चौहान आ. श्री बालू, निवासी– पटेल पुरा, घोडा, पोस्ट तलावडी, घोडा, कुक्षी, धार (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम बेनु चौहान पुत्री रामसिंह (BENU CHOUHAN D/o. RAMSINGH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का सही नाम गरीमा चौहान पुत्री श्री रामसिंह चौहान (GARIMA CHOUHAN D/o. RAMSINGH CHOUHAN) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(बेनु चौहान)	**(गरीमा चौहान)**
(BENU CHOUHAN)	(GARIMA CHOUHAN)
पुत्री– रामसिंह	पुत्री– रामसिंह चौहान
D/o. RAMSINGH	D/o. RAMSINGH CHOUHAN

(G-2057)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम देवेन्द्र कुमार नौरिया आ. श्री सेवा राम नौरिया, निवासी– म.नं. 51, वार्ड 05, बम्होरी बसोदा, बम्होरी बसोदा, गायव्यान, गैवियाँ, रायसेन (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम असंभिका नोरिया पिता श्री देवेन्द्र नोरिया (ASAMBHIKA NORIYA S/o. DEVENDRA NORIYA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का सही नाम सम्भिका नोरिया पिता श्री देवेन्द्र नोरिया (SAMBHIKA NORIYA S/o. DEVENDRA NORIYA) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(देवेन्द्र कुमार नौरिया)

आ. श्री सेवा राम नौरिया.

(G-2058)

नाम परिवर्तन

मैं, किरनबाई पति भूरिया, निवासी– 176, इंदिरा नगर, त्रिलंगा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरा नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश रेखा बाई पति भूरिया दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम किरनबाई (KIRAN BAI) पति भूरिया (BHURIYA) है, जो कि मेरे वोटर आई.डी. कार्ड में दर्ज है. मेरे आधार कार्ड/शासकीय/अशासकीय समस्त दस्तावेजों में दर्ज किया जावे. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे किरनबाई (KIRAN BAI) पति भूरिया (BHURIYA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रेखा बाई)	**(किरनबाई)**
पति– भूरिया	**(KIRAN BAI)**
	पति– भूरिया
	(BHURIYA).

(G-2059)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम त्रुटिवश वोटर आई.डी. कार्ड एवं मेरे घर की रजिस्ट्री में मीना (MEENA) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे जन्म प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और समस्त शैक्षणिक प्रमाण–पत्र में मेरा नाम प्रमिला सांखला (PRAMILA SANKHLA) पति श्री राजेश सांखला (RAJESH SANKHLA) पिता श्री ईश्वरीप्रसाद सांखला (ISHWARIPRASAD SANKHLA) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे प्रमिला सांखला (PRAMILA SANKHLA) पति श्री राजेश सांखला (RAJESH SANKHLA) पिता श्री ईश्वरीप्रसाद सांखला (ISHWARIPRASAD SANKHLA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदिका

(प्रमिला सांखला)
(PRAMILA SANKHLA)
पति– श्री राजेश सांखला
(RAJESH SANKHLA)
निवासी– A–11/8, महाकाल वाणीज्य केन्द्र, नानाखेडा,
जिला उज्जैन (म.प्र.)

(G-2060)

नाम परिवर्तन

मैं, भावना मीणा पति अरूण मीणा, निवासी– ग्राम थुरिया, तहसील कन्नौद, जिला देवास (म.प्र.). मेरे पुत्र का सही नाम कृष्णा (KRISHNA) माता का नाम भावना मीणा है. मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम कान्हा मीणा एवं माता का नाम भावना मीणा अंकित हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम कृष्णा (KRISHNA) माता का नाम भावना मीणा सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदिका

(भावना मीणा)
पति– अरूण मीणा,

(G-2061)

नाम परिवर्तन

मैं, निखिल भार्गव पुत्र श्री विवेक भार्गव, निवासी– 67, रचना नगर, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र में उसका नाम धृतिमान भार्गव रखा गया था. मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र में धृतिमान भार्गव के नाम से पंजीकृत है. मैं, अपने पुत्र का नाम धृतिमान भार्गव से परिवर्तित कर अमोघ भार्गव रखना चाहता हूँ, जो कि मेरे मूल–निवासी प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में सभी शासकीय/अशासकीय एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरे पुत्र को उसके परिवर्तित नाम अमोघ भार्गव के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(निखिल भार्गव)

पुत्र– श्री विवेक भार्गव

(G-2062)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम श्री महंत 108 ज्ञानेश्वरी पुरी जी महाराज (Shri Mahant 108 Gyaneshwari Puri Ji Maharaj), निवासी–321, ग्राम खरेली, टोंक खुर्द, देवास (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम गायत्री पत्नी श्रीधर (Gayatri W/o. Shreedhar) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे वोटर आई.डी. कार्ड के दस्तावेजों में दर्ज है. मेरे सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम श्री महंत 108 ज्ञानेश्वरी पुरी जी महाराज (Shri Mahant 108 Gyaneshwari Puri Ji Maharaj) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(गायत्री)	**(श्री महंत 108 ज्ञानेश्वरी पुरी जी महाराज)**
पत्नी– श्रीधर	**(Shri Mahant 108 Gyaneshwari Puri Ji Maharaj)**
(Gayatri W/o. Shreedhar)	

(G-2063)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम सूफिया पुत्री अबरार खा (Sufiya D/o. Abrar Kha), निवासी– चतरूखेड़ी, मऊ, राजगढ़ (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम आलिया पुत्री निसार खान (Aliya D/o. Nisar Khan) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है, उसके सही नाम को सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का सही नाम सूफिया पुत्री अबरार खा (Sufiya D/o. Abrar Kha) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(आलिया)	**(सूफिया)**
(Aliya)	**(Sufiya)**
पुत्री– निसार खान	पुत्री– अबरार खा
(D/o. Nisar Khan)	(D/o. Abrar Kha).

(G-2064)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम सपना पुत्री वृंदावन मूनारे (Sapna D/o. Vrindavan Munaare), निवासी– पोस्ट हंडिया, तहसील हंडिया, अबागांव खुर्द, जिला हरदा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम पप्पी मुनारे पुत्री वृन्दावन मुनारे (Pappy Munare D/o. Vrindavan Munare) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. मेरे नाम को सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम सपना पुत्री वृंदावन मूनारे (Sapna D/o. Vrindavan Munaare) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(पप्पी मुनारे)	(सपना)
(Pappy Munare)	**(Sapna)**
पुत्री वृन्दावन मूनारे	पुत्री– वृंदावन मूनारे
D/o. Vrindavan Munaare.	D/o. Vrindavan Munaare.

(G-2065)

नाम परिवर्तन

मैं, विजय पिता सोनजी, निवासी– ग्राम चिडियापानी, तहसील व जिला बुरहानपुर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश अजय पिता सोनजी दर्ज हो गया है, जबकि मेरा सही नाम विजय (Vijay) पिता सोनजी है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त शासकीय व अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मुझे विजय (Vijay) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अजय)	(विजय)
(Ajay)	**(Vijay).**

(G-2066)

नाम परिवर्तन

मैं, अंजली कास्डेकर पति जितेन्द्र कास्डेकर, निवासी– म. नं. 20/1, नेपानगर, नावथा नेपानगर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश अंजनी पालवी दर्ज हो गया है, जबकि मेरा सही नाम अंजली कास्डेकर (ANJALI KASDEKAR) है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त शासकीय एवं अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में अंजनी पालवी के स्थान पर अंजली कास्डेकर (ANJALI KASDEKAR) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अंजनी पालवी)	(अंजली कास्डेकर)
	(ANJALI KASDEKAR)

(G-2067)

नाम परिवर्तन

मैं, मनीता बाई पति दिनेश, निवासी– वार्ड नंबर–3, ग्राम पिपराना, धुलकोट, बुरहानपुर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश सुनिताबाई दर्ज हो गया है, जबकि मेरा सही नाम मनीता बाई (MANITA BAI) है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में सुनिताबांई के स्थान पर मनीता बाई (MANITA BAI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सुनिता बाई)	(मनीता बाई)
	(MANITA BAI).

(G-2068)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम रेखा शाह पुत्री भगवान दास शाह (Rekha Shah D/o. Bhagavan Das Shah), निवासी– हाउस नं. 151, ग्राम शासन, तियारा, सिंगरौली, टियर (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम कल्पना शाह पुत्री भगवान दास शाह (Kalpana Shah D/o. Bhagawan Das Shah) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. मेरी पुत्री के सही नाम को सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का सही नाम रेखा शाह पुत्री भगवान दास शाह (Rekha Shah D/o. Bhagavan Das Shah) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(भगवान दास)

पुत्र– रंगधारी.

(G-2069)

नाम परिवर्तन

मैं, शैलेष कुमार जैन पिता श्री सनमत कुमार जैन, निवासी– वार्ड क्रमांक 09, नर्मदा गंज, डिण्डौरी, तहसील व जिला डिण्डौरी (म.प्र.). मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र में नाम देशना जैन दर्ज है. मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम अद्विका जैन दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम देशना जैन है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री के आधार कार्ड में अद्विका जैन के स्थान पर सही नाम देशना जैन (Deshna Jain) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(शैलेष कुमार जैन)

पिता– श्री सनमत कुमार जैन.

(G-2070)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम केहर सिंह यादव पुत्र शिव दयाल यादव (Kehar Singh Yadav S/o. Shiv Dayal Yadav), निवासी–ग्राम वॉर्ड नं. 11, डोब भड़भदा, विदिशा रोड, पोस्ट सुखिसेबानिया, डोब, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम मुकेश यादव पुत्र राम मनोहर यादव (Mukesh Yadav S/o. Rammnohar Yadav) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे सही नाम को सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम केहर सिंह यादव पुत्र शिव दयाल यादव (Kehar Singh Yadav S/o. Shiv Dayal Yadav) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मुकेश यादव)	**(केहर सिंह यादव)**
(Mukesh Yadav)	**(Kehar Singh Yadav)**
पुत्र– राम मनोहर यादव	पुत्र– शिव दयाल यादव
(S/o. Rammnohar Yadav)	(S/o. Shiv Dayal Yadav).

(G-2071)

नाम परिवर्तन

मैं, सालकराम शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र शर्मा, निवासी– ग्राम सिलावटी, पोस्ट कपासी, जिला गुना (म.प्र.). मेरा सही नाम सालकराम शर्मा (Salakram Sharma) है. मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम कपिल शर्मा (Kapil Sharma) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम सालकराम शर्मा (Salakram Sharma) के नाम से जाना–पहचाना जावे एवं मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(कपिल शर्मा)	**(सालकराम शर्मा)**
(Kapil Sharma)	**(Salakram Sharma).**

(G-2072)

नाम परिवर्तन

मैं, संतोष पुत्र श्री वीरसिंह, निवासी– ग्राम सेमरखेडी, पोस्ट देहरी, बीना, जिला सागर (म.प्र.). मेरी पुत्री का सही नाम सिमी ठाकुर (Simee Thakur) है. मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम सिमी दांगी (Simi Dangi) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को उसके सही नाम सिमी ठाकुर (Simee Thakur) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा व सभी शासकीय/ अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(संतोष)

पुत्र– श्री वीरसिंह

(G-2073)

नाम परिवर्तन

मैं, इमरान कुरैशी आ. श्री अब्दुल, निवासी– मं.नं. 13/54, सदर बाजार, सागर, जिला सागर (म.प्र.). मेरा सही नाम इमरान कुरैशी (Imran Qureshi) है. मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम ईशान (Ishan) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मैं, अपने सही नाम इमरान कुरैशी (Imran Qureshi) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा व मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(ईशान)	**(इमरान कुरैशी)**
(Ishan)	**(Imran Qureshi).**

(G-2074)

नाम परिवर्तन

मैं, मंजूबाई (Manjubai) पिता रामकिशन (Ramkishan), निवासी– वार्ड नं. 08, चावडी चौक, पंधराखेडी, छिन्दवाडा, सौसर, (म.प्र.). मेरा नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम चंद्रभागा पराड़कर (Chandrabhaga Paradkar) अंकित है, जो कि गलत है. मेरे राजस्व अभिलेख में मेरा नाम मंजूबाई (Manjubai) दर्ज है. अतः प्रकशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड, खसरा एवं अन्य सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम मंजूबाई (Manjubai) दर्ज किया जावे एवं भविष्य मुझे मंजूबाई (Manjubai) के नाम से जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(चंद्रभागा पराड़कर)	**(मंजूबाई)**
(Chandrabhaga Paradkar)	**(Manjubai).**

(G-2075)

नाम परिवर्तन

मैं, बाबू अहिरवार (Babu Ahirwar) पुत्र झगडू, मेरी पुत्री रोशनी अहिरवार (Roshni Ahirwar) है, जिसके आधार कार्ड में उसका नाम लक्ष्मी अहिरवार (Lakshmi Ahirwar) आत्मजा बाबू अहिरवार (Babu Ahirwar) दर्ज है किन्तु मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र/अन्य दस्तावेजों के अनुसार उसका सही नाम रोशनी अहिरवार (Roshni Ahirwar) पुत्री बाबू अहिरवार (Babu Ahirwar) है, जो सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को रोशनी अहिरवार (Roshni Ahirwar) पुत्री बाबू अहिरवार (Babu Ahirwar) के नाम से जाना–पहचाना एवं अभिलेखों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(बाबू अहिरवार)
(Babu Ahirwar)
पता–ग्राम साजी पोस्ट जैसीनगर, साजी,
जिला सागर (म.प्र.).

(G-2076)

नाम परिवर्तन

मैं, सुखचैन चौधरी (Sukhchain Choudhary) पुत्र श्री रिक्खी लाल चौधरी (Rikkhi Lal Choudhary), निवासी– 323, पिपलेश्वर मंदिर के पास, संजय नगर, कोटरा सुल्तानाबाद, तह. हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड/दस्तावेजों में मेरा नाम राजू पटेल (Raju Patel) पुत्र रिक्की पटेल (Rikki Patel) दर्ज है, किंतु मेरा सही नाम सुखचैन चौधरी (Sukhchain Choudhary) पुत्र रिक्खी लाल चौधरी (Rikkhi Lal Choudhary) है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(राजू पटेल)	**(सुखचैन चौधरी)**
(Raju Patel)	**(Sukhchain Choudhary)**
पुत्र– रिक्की पटेल	पुत्र– रिक्खी लाल चौधरी
(Rikki Patel)	(Rikkhi Lal Choudhary)

(G-2077)

नाम परिवर्तन

मैं, चंदा सल्लाम (Chanda Sallam) पत्नी श्री मतिराम सल्लाम (Matiram Sallam) हूँ, मेरा पुत्र नवल शाह सल्लाम (Naval Shah Sallam) है, जिसके आधार कार्ड में उसका नाम डेविड शाह सल्लाम (Devid Shah Sallam) केयर ऑफ मतिराम सल्लाम (Matiram Sallam) दर्ज है, किन्तु मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र व अन्य दस्तावेजों के अनुसार उसका सही नाम नवल शाह सल्लाम (Naval Shah Sallam) पुत्र श्री मतिराम सल्लाम (Matiram Sallam) है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को नवल शाह सल्लाम (Naval Shah Sallam) पुत्र श्री मतिराम सल्लाम (Matiram Sallam) के नाम से जाना–पहचाना एवं अभिलेखों में दर्ज किया जावे.

आवेदिका

(चंदा सल्लाम)
(Chanda Sallam)
पता– जे.नं. 451, भीम नगर, तह. हुजूर, सतपुड़ा,
जिला भोपाल (म.प्र.).

(G-2078)

CHANGE OF NAME

I, Kaliprasad S/o. Jhuri Pal here by Declare That I have changed My Name Kalicharan Pal S/o. Jhuri Pal so, from now and in future I will be known by my new name Kalicharan Pal S/o. Jhuri Pal.

Old Name	New Name
(Kaliprasad)	**(Kalicharan Pal)**
	S/o. Jhuri Pal
	Add: 66/6, Aanand Farm House, Near Cat Square,
	Rajendra Nagar, Indore (M.P).

(G-2079)

CHANGE OF NAME

It is to bring kind Notice to the people that my Son previous name Yuvaan Rastogi S/o Shubham Rastogi has been changed to Rishank Rastogi S/o Shubham Rastogi Therefore, in future my Son will be known by the his new name only.

Old Name	New Name
(Yuvaan Rastogi)	**(Rishank Rastogi)** S/o. Shubham Rastogi Add: 9th Floor, Flat No. 909, Orville Block, Apollo DB City, Nipania, Vijay Nagar, Indore (M.P).

(G-2080)

नाम परिवर्तन

मैं, महेन्द्र सिंह पढेरिया पिता श्री कल्याण सिंह पढेरिया (नया नाम) सूचित करता हूँ कि मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा पूर्व नाम मधेरीया सिंह पढेरिया पिता श्री कल्याण सिंह पढेरिया (पुराना नाम) दर्ज है. अब मैं, उक्त दस्तावेजों पर अपना सही नाम महेन्द्र सिंह पढेरिया पिता श्री कल्याण सिंह पढेरिया (नया नाम) दर्ज करवाना चाहता हूं, अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में सभी जगह मुझे मेरे नये नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मधेरीया सिंह पढेरिया)	**(महेन्द्र सिंह पढेरिया)** पिता श्री कल्याण सिंह पढेरिया

(G-2081)

नाम परिवर्तन

मैं, सतीश पाण्डेय पुत्र रामकिशोर पाण्डेय, निवासी– शुक्लहारी गिजोर्रा, जिला ग्वालियर (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड, में मेरी पुत्री का नाम VAISHNAVI PANDEY वैषणवी पाण्डेय पुत्री सतीश पाण्डेय त्रुटिवश अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम RADHA PANDEY राधा पाण्डेय पुत्री सतीश पाण्डेय है, जो कि मुझ प्रार्थी की पुत्री की अंकसूची, जन्म प्रमाण–पत्र समग्र आई.डी. आदि दस्तावेजों में अंकित है. जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को उसका सही नाम RADHA PANDEY राधा पाण्डेय पुत्री सतीश पाण्डेय के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(सतीश पाण्डेय).

(G-2082)

नाम परिवर्तन

मैं, मोनिका सोनी (Monika Soni) पत्नी अनिल सोनी (Anil Soni), निवासी– म.नं. 3. संयुक्त सुरेश विहार, चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड/दस्तावेजों में मेरा नाम बबीता ड्रबला (Babita Drabla) पत्नी अनिल सोनी (Anil Soni) दर्ज है. किन्तु मेरे अन्य दस्तावेजों के अनुसार मेरा सही नाम मोनिका सोनी (Monika Soni) पत्नी अनिल सोनी (Anil Soni) है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना एवं अभिलेखों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(बबीता ड्रबला) **(Babita Drabla)**	**(मोनिका सोनी)** **(Monika Soni)** पत्नी– अनिल सोनी W/o. Anil Soni.

(G-2083)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम भूरी गुर्जर पत्नी श्री तेज सिंह गुर्जर, निवासी– 68, पुरानी आबादी बर्री, ग्राम बर्री, तहसील सीहोर, जिला सीहोर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम गीता बाई गुर्जर पत्नी श्री तेज सिंह गुर्जर (GEETA BAI GURJAR W/o. TEJ SINGH GURJAR) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम भूरी गुर्जर पत्नी श्री तेज सिंह गुर्जर (BHOORI GURJAR W/o. TEJ SINGH GURJAR) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(गीता बाई गुर्जर)	**(भूरी गुर्जर)**
(GEETA BAI GURJAR)	(BHOORI GURJAR)
	पत्नी– श्री तेज सिंह गुर्जर
	W/o. TEJ SINGH GURJAR

(G-2084)

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मे. मतंगेश्वर मिनरल्स का पंजीयन सहायक पंजीयक फर्म एवं सोसायटी, सागर द्वारा 06–12–01–0108–25 सन् 2024–25, दिनांक 14 जनवरी 2025 से किया गया है. फर्म में अभी तक भागीदार 1. श्री संदीप अग्रवाल आत्मज श्री भरत कुमार अग्रवाल, निवासी– वार्ड नं. 19, अम्बे मार्ग मालवीय नगर बसारी दरवाजा, छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.), 2. श्री अरविन्द पटैरिया आत्मज श्री रघुवर दयाल पटैरिया, निवासी–वार्ड नं. 23, चौबे कालोनी छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.) है. साथ ही अन्य भागीदार के रूप मे 3. दीन दयाल मिनरल्स एलएलपी रजिस्टर्ड आफिस एचआईजी–01 पेप्टेक टाउन, छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.) सम्मिलित हुये हैं. फर्म की रचना में परिवर्तन के प्रारुप 5 में दिनांक 28 मई 2025 को अपने हस्ताक्षर कर फर्म में भागीदारी कर ली है. अतः दिनांक 28 मई 2025 तक किसी व्यक्ति या फर्म का मे. मतंगेश्वर मिनरल्स, वार्ड नं. 19, अम्बे मार्ग मालवीय नगर बसारी दरवाजा, छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.) के नाम से कोई लेन–देन बाकी हो, तो प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के भीतर दावा प्रस्तुत करें. इसके बाद किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं किया जाएगा.

मे. मतंगेश्वर मिनरल्स

चंदर शेखर चौरसिया

(पार्टनर)

पता– वार्ड नं. 19, अम्बे मार्ग, मालवीय नगर,
बसारी दरवाजा, छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.).

(G-2085)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम राजेंद्र कुमार मिश्रा आत्मज श्री रमेश प्रसाद, निवासी–40, वार्ड क्र. 14, गुप्ता आटा चक्की के पास, टीलाजमालपुरा, बैरसिया रोड, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम गजेन्द्र कुमार (Gajendra Kumar) अंकित दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पहचान–पत्र में मेरा सही नाम राजेंद्र कुमार मिश्रा (Rajendra Kumar Mishra) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम राजेंद्र कुमार मिश्रा (Rajendra Kumar Mishra) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(गजेन्द्र कुमार)	**(राजेंद्र कुमार मिश्रा)**
(Gajendra Kumar)	**(Rajendra Kumar Mishra).**

(G-2086)

उपनाम परिवर्तन

मैं, नाजो पिता श्री नसीम शाह, निवासी– पुराना थाना के पास, सिद्दीकगंज, सीहोर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम जासमीन पुत्र श्री नसीम शा. (JAASMIN D/o. NASEEM SHAH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है मेरा सही नाम मेरे निर्वाचन आयोग कार्ड एवं अंकसूची में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम नाजो पुत्र श्री नसीम शाह (NAJO D/o. NASEEM SHAH) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	पुराना नाम
(जासमीन)	(नाजो)
(JAASMIN)	**(NAJO)**
पुत्र– श्री नसीम शा.	पुत्र– श्री नसीम शाह
D/o. NASEEM SHAH	D/o. NASEEM SHAH.

(G-2087)

नाम परिवर्तन

मैं, सुभाषचंद्र चौधरी पिता गब्बुलाल चौधरी, निवासी– ग्राम बनारसी, म. नं. 277, तहसील टोकखुर्द देवास (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में नाम चेतन चौधरी दर्ज हो गया है. जबकि मेरे पुत्र का सही नाम हर्ष चौधरी पिता सुभाषचंद्र चौधरी है, जो आधार कार्ड अन्य दस्तावेजों में दर्ज करवाना चाहता हूं. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी शासकीय, अशासकीय, व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजों सहित मेरे पुत्र के आधार कार्ड में नाम हर्ष चौधरी पिता सुभाषचंद्र चौधरी के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(सुभाषचंद्र चौधरी)

पिता गब्बुलाल चौधरी.

(G-2088)

नाम परिवर्तन

मैं, नरेश जोतवानी वल्द श्री किशनचन्द जोतवानी, निवासी– म.नं. 1, वार्ड नंबर–11, शास्त्रीवार्ड सोहागपुर, तहसील सोहागपुर, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.). मेरे पुत्र दक्ष जोतवानी (DAKSH JOTWANI) के आधार कार्ड पर त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम दकछ जोतवानी (Dakchh Jotwani) अंकित हो गया है. मेरे पुत्र के सभी दस्तावेजों, पहचान– पत्रों तथा अभिलेखों में मेरे पुत्र का सही नाम दक्ष जोतवानी (DAKSH JOTWANI) है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं संबंधित समस्त दस्तावेजों में मेरे पुत्र का सही नाम दक्ष जोतवानी (DAKSH JOTWANI) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(नरेश जोतवानी).

(G-2089)

नाम परिवर्तन

मैं, तिलक यादव आ. श्री लक्ष्मन यादव, निवासी–ग्राम चौपडा, पंचायत विस्लोनी, चौपडा, विदिशा, पथरी (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में नाम त्रुटिवश संकल्प आ. श्री तिलक सिंह (SANKALP S/o. TILAK SINGH) अंकित हो गया है जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम आनंद यादव आ. श्री तिलक यादव (ANAND YADAV S/o. TILLAK YADAV) है जो कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है, जिसे मैं, अपने पुत्र के आधार कार्ड में दर्ज करवाना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को उसके सही नाम आनंद यादव आ. श्री तिलक यादव (ANAND YADAV S/o. TILAK YADAV) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(संकल्प)	(आनंद यादव)
(SANKALP)	**(ANAND YADAV)**
	आ. श्री तिलक यादव
	S/o. TILAK YADAV.

(G-2090)

नाम परिवर्तन

मैं, जाहर सिंह यादव आत्मज श्री सीताराम यादव, निवासी– ग्राम मारोतखेरा, बमनोरा कलां, घुवारा तहसील घुवारा, जिला छतरपुर (म.प्र.). मेरी पुत्री का सही नाम दिव्यांशी यादव (Divyanshi Yadav) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरी पुत्री का नाम प्रियंका (Priyanka) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का सही नाम दिव्यांशी यादव (Divyanshi Yadav) के नाम से जाना–पहचाना एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(जाहर सिंह यादव)
आत्मज– श्री सीताराम यादव.

(G-2091)

उपनाम परिवर्तन

मेरे पुत्र के समस्त सभी शैक्षणिक व अन्य दस्तावेजों में शुभ नागोरी नाम अंकित है. अब मेरे पुत्र का नाम परिवर्तित कर शुभ गर्ग (Shubh Garg) पुत्र पवन नागोरी एवं माँ का नाम प्रीती नागोरी जाना जाये. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का नाम शुभ नागोरी (Shubh Nagori) के स्थान पर शुभ गर्ग (Shubh Garg) पुत्र पवन नागोरी एवं माँ का नाम प्रीती नागोरी के नाम से सभी दस्तावेजों, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण–पत्र आदि में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(शुभ नागोरी)
(Shubh Nagori)

नया नाम

(शुभ गर्ग)
(Shubh Garg)
निवासी– बी–8, कृषणपुरी, समाधिया कॉलोनी,
तारागंज, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2092)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम सोव्यांशी सूर्यवंशी पिता मोनू सूर्यवंशी (SOVEYANSHI SURYAVANSHI D/o. MONU SURYAVANSHI), निवासी– म. नं– 125, वार्ड नं.–11, कतिया शहरी मोहल्ला, ग्राम भुगोर, तहसील शुजालपुर, शाजापुर (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम मिस्टी सूर्यवंशी पिता मोनू सूर्यवंशी (MISTI SURYAVANSHI D/o. MONU SURYAWANSHI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके शैक्षेणिक दस्तावेजों की अंकसूची व जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का नाम सोव्यांशी सूर्यवंशी पिता मोनू सूर्यवंशी (SOVEYANSHI SURYAVANSHI D/o. MONU SURYAVANSHI) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(मोनू सूर्यवंशी)
पिता– कैलाश चन्द्र.

(G-2093)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम सारिफा खान, निवासी– म.नं. 640 वार्ड नं. 9, इंद्रा नगर, मंडीदीप, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरा नाम आधार कार्ड में सरिपा बी अंकित हो गया है जो कि गलत है. मेरा सही नाम सारिफा खान है जो मेरे दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम सारिफा खान पति साविर खान के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(सरिपा बी)
(Saripa Bee)

नया नाम

(सारिफा खान)
(Sharifa Khan).

(G-2094)

नाम परिवर्तन

मैं, सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री मेहरबान सिंह, निवासी– ग्राम नेहलाई पोस्ट मरदानपुर, तहसील रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड पर नाम धूर्व (Dhurb) अंकित है, जबकि मेरे पुत्र के अन्य दस्तावेजों (अंकसूची, जन्म प्रमाण–पत्र) ध्रुव चौहान (Dhruv Chouhan) अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के आधार कार्ड पर ध्रुव चौहान (Dhruv Chouhan) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(सुरेन्द्र कुमार)
पुत्र– श्री मेहरबान सिंह.

(G-2095)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रेम सिंह सोलंकी पिता सरवन सिंह सोलंकी, निवासी– 55 मुंडला राम, जावरा, रतलाम (म.प्र.). मेरे पुत्र का वर्तमान नाम राजवीर सिंह (RAJVEER SINGH) है, जो कि मेरे पुत्र के शैक्षणिक, शासकीय दस्तावेजों, आधार कार्ड तथा अन्य सभी मेरे पुत्र के शासकीय रिकार्ड, शैक्षणिक दस्तावेजों, आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में अपने पुत्र का नाम सरनेम परिवर्तित कर किर्तिराज सोलंकी (KIRTIRAJ SOLANKI) करवाना चाहता हूँ तथा भविष्य में मेरा पुत्र किर्तिराज सोलंकी (KIRTIRAJ SOLANKI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(प्रेम सिंह सोलंकी)

(G-2096)

नाम परिवर्तन

मैं, रंजना शर्मा पति स्व. प्रदीप कुमार, निवासी– 31, सुथारों की गली, मंदसौर (म.प्र.). मेरी पुत्री का वर्तमान नाम एंजल (ENJAL) है, जो कि मेरी पुत्री के शैक्षणिक, शासकीय दस्तावेजों, आधार कार्ड तथा अन्य सभी में मेरी पुत्री के शासकीय रिकार्ड, शैक्षणिक दस्तावेजों आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में अपनी पुत्री का नाम सरनेम परिवर्तित कर एंजल शर्मा (ANGEL SHARMA) करवाना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को एंजल शर्मा (ANGEL SHARMA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदिका

(रंजना शर्मा).

(G-2097)

नाम परिवर्तन

मैं, बने सिंह मेवाडा पुत्र छितुलाल मेवाडा, निवासी– ग्राम हसनपुरा, सीहोर (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश बरखा (BARKHA) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरी पुत्री की अंकसूची में बरखा मेवाडा (BARKHA MEWADA) पुत्री बने सिंह मेवाडा नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अशासकीय /व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजों में सही नाम बरखा मेवाडा (BARKHA MEWADA) पुत्री बने सिंह मेवाडा के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(बने सिंह मेवाडा)
पुत्र– छितुलाल मेवाडा.

(G-2098)

नाम परिवर्तन

मैं, बने सिंह मेवाडा पुत्र छितुलाल मेवाडा, निवासी– ग्राम हसनपुरा, सीहोर (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश अंजली (ANJLI) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरी पुत्री की अंकसूची में अंजली मेवाडा (ANJALI MEWADA) पुत्री बने सिंह मेवाडा नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अशासकीय /व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजों में सही नाम अंजली मेवाडा (ANJALI MEWADA) पुत्री बने सिंह मेवाडा के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(बने सिंह मेवाडा)
पुत्र– छितुलाल मेवाडा.

(G-2099)

नाम परिवर्तन

मैं, लोकेश मुकाती आत्मज श्री राधेश्याम एवं रानी मुकाती पत्नी लोकेश मुकाती, निवासी– म.नं. 363, घाटी मोहल्ला, ग्राम कनासिया, जिला उज्जैन (म.प्र.) मेरे पुत्र जिसका नाम कृतिक उर्फ शिवांश मुकाती है, उसका नाम परिवर्तित कर शिवांश मुकाती (SHIVANSH MUKATI) कर रहे हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को उसके सही नाम शिवांश मुकाती (SHIVANSH MUKATI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(कृतिक उर्फ शिवांश मुकाती)	**(शिवांश मुकाती)**
(KRITIK Urf Shivansh Mukati)	(SHIVANSH MUKATI).

(G-2100)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री के आधार कार्ड में मेरी पुत्री का नाम राध्या जगरवार होना चाहिए जो कि त्रुटिवश अश्विका जगरवार अंकित हो गया है, अर्थात मैं, अपनी पुत्री का नाम राध्या जगवार कराना चाहता हूं, अतः प्रकाशन उपरान्त से मेरी पुत्री को सही नाम राध्या जगरवार के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(दीपक जगरवार)
पिता– श्री गणेशचन्द्र जगरवार
निवासी– कस्तूरबा नगर, गली न. 1. रतलाम,
जिला रतलाम (म.प्र.).

(G-2101)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री जिसके जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में उसका नाम मोहना खड़से पुत्री श्री सतीश खड़से दर्ज है, जो कि सही है. मेरे पुत्री के आधार कार्ड में नाम हिमांशी पुत्री सतीश खड़से त्रुटिवश दर्ज हो गया, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को मोहना खड़से पुत्री श्री सतीश खड़से के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-2102) **(सतीश खड़से).**

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम पिंकू मेवाडा (PINKU MEWADA) पुत्र ओम प्रकाश नाम अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र के अन्य दस्तावेजों अंकसूची, जन्म प्रमाण–पत्र, समग्र आई.डी. में भविष्य मेवाडा (BHAVISHYA MEWADA) पुत्र ओम प्रकाश मेवाडा नाम अंकित है, जो कि सही नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को (BHAVISHYA MEWADA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(ओम प्रकाश मेवाडा)
पुत्र– मांगीलाल
निवासी– ग्राम छापरी तालूक, पो. धामंदा,
तहसील इछावर, जिला सीहोर (म.प्र.).

(G-2103)

नाम परिवर्तन

मैं, सोहिल व्यास पिता श्री बैजनाथ व्यास, निवासी– ग्राम पठारी, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम सोहित पिता श्री बैजनाथ प्रसाद (SHOHIT S/o. BAIJNATH PRASAD) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे निर्वाचन आयोग कार्ड, जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम सोहिल व्यास पिता श्री बैजनाथ व्यास (SOHIL VYAS S/o. BAIJNATH VYAS) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सोहित)	**(सोहिल व्यास)**
(SHOHIT)	**(SOHIL VYAS)**
पिता– श्री बैजनाथ प्रसाद	पिता– श्री बैजनाथ व्यास
(S/o. BAIJNATH PRASAD)	(S/o. BAIJNATH VYAS).

(G-2104)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम राजेश्वरी पत्नी श्री डी रामाकृष्ण (RAJESHWARI W/o. D RAMKRISHN), निवासी– म.नं. 35, सनातन नगर परिसर, कैलाश नगर, सी.टी.ओ बैरागढ भोपाल, तहसील हुजूर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम राज श्री (RAJ SHRI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे बैंक पासबुक, भारत गैस पासबुक, कार्यालय रक्षा लेख प्रधान नियंत्रक पेंशन इलाहाबाद दस्तावेजों में दर्ज है अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम राजेश्वरी पत्नी श्री डी रामाकृष्ण (RAJESHWARI W/o. D RAMKRISHN) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(राज श्री)	**(राजेश्वरी)**
(RAJ SHRI)	**(RAJESHWARI)**

(G-2105)

नाम परिवर्तन

मैं, लोकनाथ पटेल आ. श्री भुअर पटेल, निवासी–कुईया (खुर्द), तहसील रायपुर, कर्चुलियान, जिला रीवा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम लोकमणी पटेल पिता श्री भुअर पटेल (LOKMANI PATEL S/o. BHUAR PATEL) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे मूल निवासी प्रमाण–पत्र, भारत निर्वाचन आयोग कार्ड एवं जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम लोकनाथ पटेल पिता श्री भुअर पटेल (LOKNATH PATEL S/o. BHUAR PATEL) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(लोकमणी पटेल) **(LOKMANI PATEL)**	**(लोकनाथ पटेल)** **(LOKNATH PATEL)** पिता– श्री भुअर पटेल (S/o. BHUAR PATEL).

(G-2106)

नाम परिवर्तन

मैं, अर्चना भूरिया पिता स्व. श्री दिनेश भूरिया, माता कविता भूंरिया. मेरा सही नाम अर्चना भूरिया है, मेरे आधार कार्ड मे मेरा नाम लख्मी भूरिया दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम अर्चना भूरिया पिता स्व. श्री दिनेश भूरिया के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(लक्ष्मी भूरिया)	**(अर्चना भूरिया)** पिता– स्व. दिनेश भूरिया पता– गांव चौनपुरा, पोस्ट–चौनपुरा, तहसील मेघनगर, जिला झाबुआ (म.प्र.).

(G-2107)

नाम परिवर्तन

मैं, अथर्व सिंह कसानां पुत्र श्री ब्रजमोहन सिंह कसाना. मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम लवकुश कसाना अंकित है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम अथर्व सिंह कसाना है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(अर्थव सिंह कसाना)
पुत्र– श्री ब्रजमोहन सिंह कसाना
पता– RV-36, इन्डस गार्डन, फेज–1
तगुलमोहर कॉलोनी, जिला भोपाल (म.प्र.).

(G-2108)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम मुन्ना लाल शाक्य पुत्र श्री खुमानसिंह शाक्य है, जो कि मेरी एल.आई.सी. बीमा पॉलिसी एवं वोटर कार्ड में दर्ज है. मेरा सही नाम नरेश शाक्य पुत्र श्री किशन लाल शाक्य है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी बीमा पॉलिसी एवं अन्य शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम मुन्ना लाल शाक्य पुत्र श्री खुमानसिंह शाक्य के स्थान पर नरेश शाक्य पुत्र श्री किशन लाल शाक्य लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मुन्ना शाक्य)	**(नरेश शाक्य)**
पुत्र– श्री खुमानसिंह शाक्य	पुत्र– श्री किशनलाल शाक्य.

(G-2109)

नाम परिवर्तन

मैं, शीला सेन पत्नी स्व. हीरालाल सेन, निवासी– ग्राम व पो. देवरा, क्रमांक 02, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश सुशीला सेन दर्ज है, जो कि गलत है, मेरे पति के पेंशन पी.पी.ओ. और मेरे ई–मतदाता पहचान–पत्र में मेरा सही नाम शीला सेन अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम शीला सेन के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सुशीला सेन)	**(शीला सेन)**
	पत्नी– स्व. हीरालाल सेन.

(G-2110)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम ईशांत राठौर पिता मुकेश राठौर (ISHANT RATHORE S/o. MUKESH RATHORE), निवासी– फ्लैट नं–बी–02, 604, पी.एम. भानपुर, हुजूर, पीपल्स कम्पुस, भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम ईशान राठौर पिता मुकेश राठौर (ISHAN RATHORE S/o. MUKESH RATHORE) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों व जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम ईशांत राठौर पिता मुकेश राठौर (ISHANT RATHORE S/o. MUKESH RATHORE) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(मुकेश राठौर).

पिता– गेंदा लाल राठौर.

(G-2111)

नाम परिवर्तन

मैं, पूजा पिता रामसेवक अग्रवाल, निवासी– 19/1, सरवेया गली रामपुरा वार्ड, जिला सागर (म.प्र.). मेरा नाम त्रटिवश आधार कार्ड में (Shah Pooja Dhavalkumar) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम पूजा (PUJA) है, जो मेरे वोटर आई.डी. कार्ड में दर्ज है. जिसको मैं, अपने आधार कार्ड/शासकीय/अशासकीय सभी दस्तावेजों में दर्ज कराना चाहती हूँ. पूजा (PUJA) व (Shah Pooja Dhavalkumar) दोनों नाम मेरे स्वयं के ही हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम पूजा (PUJA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(Shah Pooja Dhavalkumar)	(पूजा) **(PUJA).**

(G-2112)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम रचना पत्नी अलोक कुमार (Rachana W/o. Alok Kumar), निवासी– सी–13, आर.आर. पी लाइन, भदभदा रोड, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम रचना देवी पत्नी अलोक कुमार (Rachna Devi W/o. Alok Kumar) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरी शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है तथा सही नाम को सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम रचना पत्नी अलोक कुमार (Rachana W/o. Alok Kumar) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(रचना देवी)
(Rachna Devi)

नया नाम
(रचना)
(Rachana)
पत्नी– अलोक कुमार
W/o. Alok Kumar.

(G-2113)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम अनिकेत रावत पुत्र सतेंद्र रावत (Aniket Rawat S/o. Satendra Rawat), निवासी– ग्राम पपरेदु, पोस्ट पपरेदु, तहसील करेरा, शिवपुरी, (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम अंकित पुत्र सतेन्द्र (Ankit S/o. Satendra) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है तथा सही नाम को सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का नाम अनिकेत रावत पुत्र सतेंद्र रावत (Aniket Rawat S/o. Satendra Rawat) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(अंकित)
(Ankit)
पुत्र– सतेन्द्र
S/o. Satendra

आवेदक
(अनिकेत रावत)
(Aniket Rawat)
पुत्र– सतेंद्र रावत
S/o. Satendra Rawat.

(G-2114)

उपनाम परिवर्तन

मैं, मनीष सुखवानी (MANISH SUKHWANI) पिता स्व. चंदीराम (CHANDIRAM), निवासी– पुष्पराज कालोनी सतना, जिला सतना (म.प्र.). मैंने अपना सरनेम सुखवानी (SUKHWANI) के स्थान पर दर्डा (DARDA) परिवर्तित कर लिया है और अपने नाम के साथ इसी सरनेम का उपयोग कर रहा हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में मेरा नाम मनीष दर्डा (MANISH DARDA) तनय स्व. चंदीराम के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(मनीष सुखवानी)

आवेदक
(मनीष दर्डा)
पिता– तनय स्व. चंदीराम.

(G-2115)

उपनाम परिवर्तन

मैं, दीपक सुखवानी (DEEPAK SUKHWANI) पिता स्व. चंदीराम (CHANDIRAM), निवासी– पुष्पराज कालोनी सतना, जिला सतना (म.प्र.). मैंने अपने गोत्र सरनेम सुखवानी (SUKHWANI) के स्थान पर दर्डा (DARDA) परिवर्तित कर लिया है और अपने नाम के साथ इसी सरनेम का उपयोग कर रहा हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में मेरा नाम दीपक दर्डा (DEEPAK DARDA) तनय स्व. चंदीराम के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(दीपक सुखवानी)

आवेदक
(दीपक दर्डा)
पिता– तनय स्व. चंदीराम.

(G-2116)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मनीष ठाकुर पिता तेज सिंह ठाकुर फर्म SHREE SHIVAY BUILDCON में भागीदार हूँ, फर्म का निर्माण कार्य और कॉलोनी डेवलपमेंट का काम है, कार्यालय– 01, ए. बी. रोड बिलावली, इंडियन आयल पेट्रोल पंप के सामने, देवास में स्थित होकर, फर्म का पंजीयन कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं उज्जैन पंजीयन क्रमांक 07–38–01–0097–22, दिनांक 23 सितम्बर 2022 को हुआ है. फर्म पंजीयन करते समय फर्म का नाम त्रुटिवश SSHREE SHIVAY BUILDCON हो गया था, जो कि सही नाम नहीं है. हमने अपनी भागीदारी फर्म का नाम सुधारकर SHREE SHIVAY BUILDCON कर लिया है. फर्म के सही नाम का संशोधन भागीदारी विलेख भी तैयार कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरांत हमारी फर्म को SHREE SHIVAY BUILDCON के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

SHREE SHIVAY BUILDCON

मनीष ठाकुर
(भागीदार)
पता– ग्राम बिलावली, ए.बी. रोड, देवास (म.प्र.).

(G-2117)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम कृष्णा राय पिता नन्द कुमार राय (KRISHNA RAI S/o. NAND KUMAR RAI), निवासी– म.नं. 60, वार्ड नं. 10, नगर बरेली तिलक, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम पियूष राय पिता नन्दकुमार (Piyush Rai S/o. Nandkumar) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. मैं, अपने पुत्र के आधार कार्ड/शासकीय/अशासकीय सभी दस्तावेजों में दर्ज करवाना चाहता हूं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम कृष्ण राय पिता नन्द कुमार राय (KRISHNA RAI S/o. NAND KUMAR RAI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(नन्द कुमार राय)
(NAND KUMAR RAI)

(G-2118)

उपनाम परिवर्तन

मैं, सीमा अड़लक पिता पंडरीनाथ अड़लक, निवासी– 119/2, न्यू आर्दश कॉलोनी, पतौवापुरा, तहसील शाहपुर, जिला बैतूल (म.प्र.). मेरा नाम आधार कार्ड में सीमा देशमुख (Seema Deshmukh) द्वारा राजेंद्र देशमुख (Rajendra Deshmukh) दर्ज हो गया है, जो कि मेरे विवाह पश्चात् का नाम है. मेरा विवाह विच्छेद होने के बाद मेरा सही नाम सीमा अड़लक (Seema Adlak) पिता पंडरीनाथ अड़लक (Pandarinath Adlak) है, जोकि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है, जिसे मैं, अपने आधार कार्ड/शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज कराना चाहती हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे सही नाम सीमा अड़लक (Seema Adlak) पिता पंडरीनाथ अड़लक (Pandarinath Adlak) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(सीमा देशमुख)
(SEEMA DESHMUKH)
द्वारा– राजेंद्र देशमुख
(RAJENDRA DESHMUKH)

आवेदक

(सीमा अड़लक)
(SEEMA ADLAK)
पिता– पंडरीनाथ अड़लक
(PANDARINATH ADLAK).

(G-2119)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, उपखण्ड गुना, मध्यप्रदेश

गुना, दिनांक 4 नवम्बर 2025

प्रारुप क्र. – 4

[देखिए नियम–7(1)]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) के द्वारा]

न्यायालय लोक न्यासों का पंजीयक, उपखण्ड गुना, जिला गुना के समक्ष,

प्र.क्र.–04–बी–113/2025–26.– यतः कि न्यासधारी श्री रतनलाल चंदेल पुत्र श्री धनसिंह चंदेल, निवासी– कर्नेलगंज एवं अन्य, द्वारा "ग्वाल समाज ट्रस्ट शिवाजी नगर जिला गुना" मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कथित आवेदन पर दिनांक 25 फरवरी 2026 के दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा.

किसी आपत्तियां सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये, उपरोक्त अवधि के अक्सान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नही लिया जायेगाः–

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम और पता	–	"ग्वाल समाज ट्रस्ट शिवाजी नगर, जिला गुना"
2. चल सम्पत्ति	–	–
3. अचल सम्पत्ति	–	–

(G-2120)

शिवानी पाठक, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, गौहरगंज, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

गौहरगंज, दिनांक 4 फरवरी 2026

प्रारुप क्र. – 5

[देखें नियम–5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक गौहरगंज, जिला रायसेन, के समक्ष,

क्र.–221–रीडर–2026.– यतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती हैः

अब. इसलिये, मैं, चन्द्रशेखर श्रीवास्तव, लोक न्यासों का पंजीयक गौहरगंज, जिला रायसेन मेरे न्यायालय में 2026 के फरवरी के 04 दिवस पर, कथित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) यथाअपेक्षित, मामले में जाँच करने को प्रस्तावित करता हूँ

एतद्द्वारा सूचना–पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना–पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह की भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरात प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगाः–

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

1 ट्रस्ट का नाम	–	श्री राम जानकी मंदिर
2 कार्यालय का पता	–	श्री राम जानकी मंदिर आशापुरी, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन.
3 चल सम्पत्ति	–	निरंक
4 अचल सम्पत्ति	–	निरंक

(G-2121) **चन्द्रशेखर श्रीवास्तव,** पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा).

न्यायालय, पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, अनुभाग–बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

बुरहानपुर, दिनांक 19 जनवरी 2026

[देखिए नियम–5(1)]

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत]

प्र.क्र.–बी–113/2025–26.– एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यास के पंजीयक बुरहानपुर जिला बुरहानपुर के समक्ष आवेदक श्री शीतलामाता मंदिर ट्रस्ट शाह बाजार, बुरहानपुर, द्वारा सचिव राकेश खत्री पिता बालाप्रसाद खत्री, निवासी– मकान नंबर 105/2, वार्ड नंबर 07, तिलकवार्ड, तहसील व जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश ने एक आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 4 मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 के तहत् प्रस्तुत कर श्री शीतलामाता मंदिर ट्रस्ट शाह बाजार बुरहानपुर के पंजीयन हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया हैं. एतद्द्वारा सूचना–पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन–पत्र दिनांक 16 जनवरी 2026 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखत कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जायेगाः–

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता सम्पत्ति का विवरण)

1. आवेदक श्री शीतलामाता मंदिर ट्रस्ट शाह बाजार, बुरहानपुर व्दारा सचिव, राकेश खत्री पिता बालाप्रसाद खत्री, निवासी– मकान नंबर 105/2, वार्ड नंबर 07, तिलकवार्ड, तहसील व जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश.
2. चल संपत्ति 2,00,000/– रुपये है.
3. अचल संपत्ति– शहर बुरहानपुर स्थित ब्लॉक नंबर 36, प्लॉट नंबर 241, रकबा 150 वर्गफीट पर प्राचीन मंदिर बना है शासकीय रिकार्ड में मंदिर श्री शीतला माता मेनेजर सुंदाबाई बेवा शिवलाल नागोरी, निवासी– कारंज बाजार, बुरहानपुर के नाम से दर्ज है.

(G-2122) **अजमेर सिंह गौड़,** पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, जूनी इन्दौर क्षेत्र, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

जूनी इन्दौर, दिनांक 6 फरवरी 2026

(फार्म – चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951: तीस: (95) की धारा 5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

क्र.–3617–रीडर–1/2026.– आवेदक श्री आनंदेश्वर, महादेव ट्रस्ट पता–512, शांत डैजल, आनंदवन के सामने, स्कीम न. 1140, बिचौली मर्दाना रोड, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अर्न्तगत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथया दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र से प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते है. निश्चित् अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा:–

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल सम्पत्ति – चल सम्पत्ति का विवरण)

1. श्री आनंदेश्वर महादेव ट्रस्ट पता–512, शांत डैजल, आनंदवन के सामने, स्कीम न. 1140, बिचौली मर्दाना रोड, इन्दौर.
2. अचल संपत्ति निरंक /–
3. चल संपत्ति 11000/–

आज दिनांक 06 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-2123) **प्रदीप सोनी,** अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, रतलाम (शहर), मध्यप्रदेश

रतलाम, दिनांक 6 फरवरी 2026

फार्म – 4

[देखिए नियम–5(1)]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 4 (2) के तहत]

क्र.–245–आर–1–26– प्र.क्र.–0005–बी–113(1)–2025–20.– आवेदक मोहम्मद इसहाक खान पिता मोहम्मद इस्माइल खान, निवासी– 23/1 अरिहंत परिसर रतलाम व अन्य द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर ''हयात एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन'' जिसका कार्यालय– 23/1, अरिहंत परिसर कॉलोनी, रतलाम पर रहेगा के नाम से नवीन ट्रस्ट का पंजीयन किये जाने को निवेदन किया गया है. जिसकी सुनवाई दिनांक 15 दिसम्बर 2025 को नवीन कलेक्टोरेट भवन महू–नीमच रोड के कक्ष क्रमांक 5 में की जावेगी.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस संबंध में किसी को वैधानिक आपत्ति हो तो वह प्रकरण में नियत दिनांक 06 मार्च 2026 को या इसके पूर्व इस न्यायालय में न्यायालयीन समय पर उपस्थित होकर अपनी आपत्ति पेश कर सकते हैं. नियत अवधि पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर विचार न करते हुए प्रकरण में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगीः–

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

1.	न्यास का पूरा नाम व पता	''हयात एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन'' जिसका कार्यालय 23/1 अरिहंत परिसर कॉलोनी, रतलाम.		
2.	अचल सम्पत्ति	निरंक		
3.	चल सम्पत्ति	क्र.	विवरण	रुपये
		1	Equitas Small Finance Bank Ratlam [Account number 200003021242]	5,08,000/–

(G-2124) **आर्ची हरित**, रजिस्ट्रार.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, नजूल, टी.टी. नगर, भोपाल मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2026

प्रारुप– 4

[देखिए नियम–5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) के अंतर्गत]

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, टी.टी. नगर भोपाल जिले के समक्ष

प्र.क्र.–05–बी–113–2025–2026.– चूंकि, श्री अंश शर्मा आ. श्री शैलेन्द्र शर्मा, निवासी–एल.आई.जी. 117 हर्षवर्धन नगर भोपाल, मध्यप्रदेश द्वारा "इंडियन साइक्लिंग फाउण्डेशन" ट्रस्ट कार्यालय–एल.आई.जी. 117, हर्षवर्धन नगर, भोपाल का पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 12 मार्च 2026 को विचार में लिया जावेगा. अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से पन्द्रह दिवस के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है, और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नही किया जायेगाः–

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम	: –	इंडियन साइक्लिंग फाण्डेशन भोपाल (म.प्र.)
2. चल सम्पत्ति	: –	10,000/– (दस हजार) इंडियन बैंक, माता मंदिर शाखा भोपाल में जमा है.
2. अचल सम्पत्ति	: –	निरंक

आज दिनांक 10 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन की पदमुद्रा से जारी की गई.

(G-2125)

भोपाल, दिनांक 4 फरवरी 2026

प्रारुप – 4

[देखिए नियम–5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) के अंतर्गत]

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, टी.टी. नगर भोपाल जिले के समक्ष

प्र.क्र.–02–बी–113–2025–2026.– चूंकि, श्री चंद्रभान लालचंदानी आ. स्व. श्री जेठानंद लालचंदानी निवासी– म.नं.–40–43, लक्ष्मी विला, ईदगाह हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश ने लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अधीन सेठ ख्यालदास लालचंदानी स्मृति चेरिटेबिल ट्रस्ट का लोक न्यास अधिनियम के तहत् अनुसूची में पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती हैं कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 4 फरवरी 2026 को विचार के लिए लिया जावेगा.

अतः, मैं, अनुविभागीय अधिकारी, एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, टी.टी. नगर, भोपाल (सेठ ख्यालदास लालचंदानी स्मृति चेरिटेबिल ट्रस्ट भोपाल) लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 4 मार्च 2026 को उक्त अधिनियम की धारा 4 के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करती हूं.

अतः, एतद्द्वारा सूचना दीं जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता हैं, और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नही किया जाएगाः–

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम	: –	सेठ ख्यालदास लालचंदानी स्मृति चेरिटेबिल ट्रस्ट, भोपाल (म.प्र.)
2. चल सम्पत्ति	: –	निल
3. अचल सम्पत्ति	: –	निल

आज दिनांक 4 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन की पदमुद्रा से जारी की गई.

(G-2126)

अर्चना रावत शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, बड़वाह, जिला खरगोन मध्यप्रदेश

फार्म – चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30–1951) की धारा 5 (2) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स, 1952 के नियम 5 (1) के अंतर्गत]

समक्ष पंजीयक, लोक न्यास, बड़वाह

प्र.क्र.–05–बी–113(1)–2025–26.– चूंकि, प्रार्थी स्वामी प्रणवानन्द सरस्वती पिता रामानन्द सरस्वती, निवासी– 01, भार्कण्डेय सन्यास आश्रम, श्री अभय घाट, औंकारेश्वर, तहसील पुनासा, जिला–खण्डवा (म.प्र.) द्वारा "श्री रामकुटी आश्रम ग्राम रामगढ ट्रस्ट पंजीकृत कार्यालय– श्री रामकुटी आश्रम, ग्राम रामगढ़, तहसील बडवाह, जिला खरगोन (म.प्र.) द्वारा ट्रस्ट पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30–1951) की धारा 4 के अन्तर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल/अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन–पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है.

एतद्द्वारा, सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन–पत्र पर इस न्यायालय में विचार किया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा:–

अ.क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	नगद	निरंक	निरंक	11,000/–
2.	अचल सम्पत्ति	निरंक	निरंक	निरंक

(G-2127) **सत्यनारायण दर्रो,** अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, संतहिरदाराम नगर, बैरागढ़ वृत्त, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2026

प्र. क्र.–बी–121–2025–26.– जैसा कि " आइनॉक्स ग्रीन रहवासी समिति" पता– नई जेल रोड, नियर आई.टी. पार्क तहसील हुजूर, भोपाल द्वारा श्री उपेन्द्र कुमार शुक्ला पिता श्री जगदीश प्रसाद शुक्ला अध्यक्ष नि. मकान नम्बर 87, आईनॉक्स ग्रीन कॉलोनी, हुजूर, भोपाल की ओर से मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व नियम, 2019 के अन्तर्गत संस्था के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त संस्था में या प्रकोष्ठ/सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के "एक माह" के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा:–

अनुसूची

1. संस्था का नाम व पता	–	''आइनॉक्स ग्रीन रहवासी समिति'' पता– नई जेल रोड, नियर आई.टी. पार्क, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.
2. चल सम्पत्ति	–	निरंक
3. अचल सम्पत्ति	–	निरंक

आज दिनांक 26 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया.

(G-2128) **रवि शंकर राय,** अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), किरनापुर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश

किरनापुर, दिनांक 17 फरवरी 2026

प्रारूप–चार

[नियम–5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास, नियम, 1962 का नियम 5(1) के अंतर्गत]

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व किरनापुर, जिला बालाघाट मध्यप्रदेश के समक्ष

क्र. 1079.– चूँकि, श्री पंकज अग्रवाल (अध्यक्ष) आत्मज/पिता ओमप्रकाश अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 10, किरनाई मंदिर रोड़, किरनापुर, जिला बालाघाट (म.प्र.) ने लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 23 मार्च 2026 को विचार के लिये लिया जायेगा.

अतः, मैं, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट किरनापुर (मां किरनाई देवी मंदिर ट्रस्ट) लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 23 मार्च 2026 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जाँच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या उसमें हित रखने वाले और किसी सम्पत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जायेगाः–

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम	–	मां किरनाई देवी मंदिर ट्रस्ट
2. चल सम्पत्ति	–	3,00,000/– (शब्दों में तीन लाख रुपये) नगदी हार 18 CT – 86.06 ग्राम, सोने का चिल्लर सामान -- 4 ग्राम, चांदी का छत्र – 2449 ग्राम, चांदी का छत्र–मुकुट – 443 ग्राम चांदी का चिल्लर सामान – 120 ग्राम, चांदी का मुकुट– 670 ग्राम
3. अचल सम्पत्ति	: –	निरंक

आज दिनांक 17 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई.

(G-2129) **मायाराम कोल,** अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, शुजालपुर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

शाजापुर, दिनांक 4 फरवरी 2026

प्रारुप– पांच

[देखिये नियम–5(1)]

प्र.क्र.–0003–बी–113–2025–26.– मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 5 (1) व 5 (2) के अंतर्गत आवेदक अध्यक्ष अभिषेक जैन पिता स्व. चंद्रकांत जैन, निवासी– मकान नं. 409, वार्ड नंबर 15, (सम्यक कम्प्युटर्स), शुजालपुर, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर के द्वारा एक आवेदन–पत्र पंजीयन श्री कुन्दकुन्द कहान दिगम्बर जैन धार्मिक एंव पारमार्थिक ट्रस्ट कस्ब शुजालपुर, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर हेतु धारा 4 मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 के तहत् प्रस्तुत किया गया. आवेदन के संलग्न डीड बायलाज, पंजीयक प्रमाण–पत्र भाग 1 एंव मुद्रांक विभाग मध्यप्रदेश, एंव अध्यक्ष सदस्य का सहमति मय आधार कार्ड आदि प्रमाणीकरण की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है. उक्त ट्रस्ट एंव उसकी चल–अचल सम्पत्ति पंजीयन हेतु मेरे न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, जिसमें पेशी दिनांक 4 मार्च 2026 को मेरे द्वारा विचार किया जावेगा.

उक्त लोक न्यास एवं चल–अचल सम्पति के पंजीयन किये जाने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव हो तो दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के अंदर स्वयं अथवा किसी वैध प्रतिनिधी अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. विज्ञाप्ति समय अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त किसी आपत्ति या सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जावेगा:--

1. **न्यास का मुख्यालय**– श्री अभिषेक जैन पिता स्व. चंद्रकांत जैन, निवासी– मकान नं. 409, वार्ड नंबर 15, (सम्यक कम्प्युटर्स), शुजालपुर, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश.
2. **न्यास का कार्यक्षेत्र**– कस्बा शुजालपुर, तहसील शुजालपुर.
3. **न्यास का उद्देश्य**– मानव सेवा व स्वास्थ्य एंव धार्मिक कार्य व अन्य सेवाएँ प्रदान करना.
4. **न्यास आय के साधन**– समाज जन एवं मंदिर में प्राप्त दान/अनुदान/मंदिर के अन्य भाग पर निर्माण संरचना से प्राप्त किराया द्वारा आय का साधन होगा.
5. चल–अचल सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है:–

अ.– अचल संपत्ति– श्री कुन्दकुन्द कहान दिगम्बर जैन धार्मिक एंव पारमार्थिक ट्रस्ट कस्ब शुजालपुर, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर लोक न्यास के पास एक भूखण्ड जो 2000 वर्गफीट भूमि का प्लाट है पर मंदिर एंव स्वाध्याय भवन का निर्माण कार्य किया जाना है.

ब.– चल संपत्ति– दान से प्राप्त 22,000/– बाईस हजार रूपए संस्था के पास नगद राशि है.

(G-2130) **राजकुमार हल्दर,** रजिस्ट्रार एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं लोक न्यास, पंजीयक, सागर, जिला सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 9 फरवरी 2026

प्रारुप–4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) तथा मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1951 का नियम 5 कां उपनियम (1) देखिये]

रा.प्र.क्र.–007–बी–113–वर्ष 2025–26.– जैसा कि श्री राम जानकी दक्षिण पंचमुखी हनुमान शिव मंदिर, स्मृति शेष श्रीमती शंकुतला श्यामचरण देवलिया जी ट्रस्ट साकिन मनोरमा कॉलोनी, सागर, तह. व जिला सागर के द्वारा आवेदक राजकुमार पिता बालचंद गौड, निवासी– मनोरमा कॉलोनी, सागर, तहसील व जिला सागर के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1961 के नियम 2 के तहत् एक आवेदन–पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने हेतु निवेदन किया गया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन–पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक..... को विचार किया जायेगा, कोई भी व्यक्ति जो उक्ट ट्रस्ट या सम्पति में हित रखते हों और आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वे इस सूचना के प्रकाशन के पन्द्रह दिनों के अंदर अपनी आपत्ति या सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वंय अथवा अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगाः–

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता व अचल–चल सम्पत्ति का विवरण)

1. ट्रस्ट का नाम	–	श्रीराम जानकी दक्षिण पंचमुखी हनुमान शिव मंदिर, स्मृति शेष श्रीमती शंकुतला श्यामचरण देवलिया जी ट्रस्ट साकिन मनोरमा कॉलोनी, सागर, तह. व जिला सागर.
2. अचल सम्पत्ति	–	मूर्तियां, भूमि, बर्तन उपकरण आदि.
3. चल सम्पत्ति	: –	5,00,000/–रु.

(G-2131) **अमन मिश्रा,** अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, तहसीलदार, तहसील कोलार, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2026

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5(1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

रा.प्र.क्र.–बी–113–2025–26.– जैसा कि "आवेदक केशव लाल दुबे आ. यज्ञनारायण दुबे, निवासी– 30, फेथकला एम्पायर, सोहागपुर, कोलार रोड, भोपाल द्वारा वर्णित "फेथकला शिव मंदिर न्यास, फेथकला एम्पायर सोहागपुर, कोलार रोड, भोपाल" के पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा 16 मार्च 2026 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के "उक्त दिवस" के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगाः–

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम व पता	–	फेथकला शिव मंदिर न्यास, फेथकला एम्पायर सोहागपुर, कोलार रोड, भोपाल.
2. चल सम्पत्ति	–	77,000/– राशि
3. चल सम्पत्ति	: –	निरंक

आज दिनांक 5 मार्च 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया.

(G-2132) **नरेन्द्र परमार,** अतिरिक्त तहसीदार.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील कोलार, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

प्र.क्र.–0004–बी–113–2025–26.– जैसा कि ''आवेदक श्री राकेश शर्मा, वास्ते शक्तिधाम न्यास, एम.आई.जी डी.एल. एक्स बी–142, अमराई, बागसेवनियां, भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 के अंतर्गत ट्रस्ट ''शक्तिधाम न्यास, भोपाल'' के पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा 2 मार्च 2026 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के ''एक माह'' के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा :–

''अनुसूची''

1.–	ट्रस्ट का नाम व पता	–	''शक्तिधाम न्यास, भोपाल'' एम.आई.जी डी.एल.एक्स बी–142, अमराई, बागसेवनियां, भोपाल
2–	चल सम्पत्ति	–	51,000/– राशि
3–	अचल सम्पत्ति	–	निरंक

आज दिनांक 29 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया.

(G-2133) **प्रकाशचंद्र पाण्डेय,** अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, सहायक आयुक्त (प्रशासन), सहकारिता, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

बड़वानी, दिनांक 30 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.–परि–2026–77.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक–परि–1200 बड़वानी, दिनांक 12 अक्टूबर 2018 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, एकलबारा (पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर), जिला बडवानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 224, दिनांक 28 सितम्बर 2007 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिरसाट, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण–पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–डी, 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित एकलबारा, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 224, दिनांक 28 सितम्बर 2007 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 30 जनवरी, 2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2134)

बड़वानी, दिनांक 30 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.–परि–2026–78.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक 354 बड़वानी, दिनांक 28 अप्रैल 2016 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बावड़िया (पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर), जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 225, दिनांक 28 सितम्बर 2007 है. को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिरसाट, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण–पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित बावड़िया, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 225, दिनांक 28 सितम्बर 2007 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 30 जनवरी, 2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2135)

बड़वानी, दिनांक 30 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.–परि–2026–79.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक–परि.–940 बड़वानी, दिनांक 06 जुलाई 2018 के द्वारा कृष्णा साख सहकारी संस्था मर्यादित, अंजड़ (पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर), जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 434, दिनांक 09 दिसम्बर 2014 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिरसाट, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन कृष्णा साख सहकारी संस्था मर्यादित, अंजड, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 434, दिनांक 9 दिसम्बर 2014 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 30 जनवरी, 2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2136)

बड़वानी, दिनांक 30 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–80.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक–परि.–1000 बड़वानी, दिनांक 8 दिसम्बर 2014 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बांदरकच्छ (पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर), जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 195, दिनांक 23 सितम्बर 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिरसाट, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था,

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण–पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त परिसमापनाधीन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बांदरकच्छ, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 195, दिनांक 23 सितम्बर 2005 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 30 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2137)

बड़वानी, दिनांक 30 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–81.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक–परि.–1467, बड़वानी दिनांक 13 अक्टूबर 2022 के द्वारा श्री निषाद साख सहकारी संस्था मर्यादित, खेतिया (पंजीयन प्रमाण–पत्र एव पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर), जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 460, दिनांक 29 अप्रैल 2015 है. को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री जे.एस. रावत, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण–पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन श्री निषाद साख सहकारी संस्था मर्यादित, खेतिया, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 460, दिनांक 29 अप्रैल 2015 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 30 जनवरी, 2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2138)

बड़वानी, दिनांक 30 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–82.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक–परि.–980, बड़वानी दिनांक 08 दिसम्बर 2014 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जोड़ाई (पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर), जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 248, दिनांक 11 अप्रैल 2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री जे.एस. रावत, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण–पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जोड़ाई, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 248, दिनांक 11 अप्रैल 2008 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 30 जनवरी, 2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2139)

बड़वानी, दिनांक 30 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–83.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक–परि–814, बड़वानी दिनांक 09 नवम्बर 2016 के द्वारा श्री सांई बाबा साख सहकारी संस्था मर्यादित, खेतिया (पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर), जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 07, दिनांक 08 फरवरी 2000 है. को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री जे.एस. रावत, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण–पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन श्री सांई बाबा साख सहकारी संस्था मर्यादित, खेतिया, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 07, दिनांक 08 फरवरी 2000 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 30 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2140)

बड़वानी, दिनांक 30 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–84.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक–परि–1497, बड़वानी दिनांक 13 अक्टूबर 2022 द्वारा सहयोग साख सहकारी संस्था मर्यादित, बड़वानी (पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर), जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 463, दिनांक 29 अप्रैल 2015 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत्त परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री जे. एस. रावत, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमाषक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण–पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन सहयोग साख सहकारी संस्था मर्यादित बड़वानी, जिला बड़वानी जिसका पंजीयन क्रमांक 463, दिनांक 29 अप्रैल 2015 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 30 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक.

(G-2141)

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 30 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–143.– इस कार्यालय का आदेश क्र.–परिसमापन–2025–591, सीहोर, दिनांक 26 मई 2025 के द्वारा प्राथ. बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, ढाबलामाता, तहसील इछावर, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1622, दिनांक 25 सितम्बर 2012 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत सुश्री शिवानी दास, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99–पन्द्रह– 1 सी, दिनांक 29 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप–पंजीयक, सहकारी सस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के अंतर्गत प्राथ. बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, ढाबलामाता, तहसील इछावर, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1622, दिनांक 25 सितम्बर 2012 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. इस आदेश के दिनांक से प्राथ. बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, ढाबलामाता, तहसील इछावर, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1622, दिनांक 25 सितम्बर 2012 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2142)

सीहोर, दिनांक 30 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–144.– इस कार्यालय का आदेश क्र.–परिसमापन–2025–591, सीहोर दिनांक 25 मई 2025 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उमरखाल, तहसील इछावर, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1182, दिनांक 05 अक्टूबर 2001 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत सुश्री शिवानी दास, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99–पन्द्रह 1 सी, दिनांक 29 जुलाई 99 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप–पंजीयक, सहकारी सस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उमरखाल, तहसील इछावर, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1182, दिनांक 05 अक्टूबर 2001 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. इस आदेश के दिनांक से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उमरखाल, तहसील इछावर, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1182, दिनांक 05 अक्टूबर 2001 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2143)

सीहोर, दिनांक 30 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–145.– इस कार्यालय का आदेश क्र.–परिसमापन–2023–1384, सीहोर दिनांक 06 अक्टूबर 2023 के द्वारा बलराम बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, सुखलिया, हंसराज, तहसील इछावर, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1839, दिनांक 28 अप्रैल 2016 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री आर.सी. रैकवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99–पन्द्रह–1 सी, दिनांक 29 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप–पंजीयक, सहकारी सस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के अंतर्गत बलराम बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, सुखलिया हंसराज, तहसील इछावर, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1839, दिनांक 28 अप्रैल 2016 का पंजीयन निरस्त करता हूँ, इस आदेश के दिनांक से बलराम बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, सुखलिया हंसराज तहसील इछावर, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1839, दिनांक 28 अप्रैल 2016 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2144)

सीहोर, दिनांक 30 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–146.– इस कार्यालय का आदेश क्र.–परिसमापन–2022–1313, सीहोर दिनांक 16 दिसम्बर 2022 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चींच, तहसील भैरुंदा, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1626, दिनांक 27 सितम्बर 2012 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री आर.सी. रैकवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99–पन्द्रह–1 सी, दिनांक 29 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप–पंजीयक, सहकारी सस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चींच, तहसील भैरूंदा, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1626, दिनांक 27 सितम्बर 2012 का पंजीयन निरस्त करता हूँ, इस आदेश के दिनांक से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चींच, तहसील भैरूंदा, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1626, दिनांक 27 सितम्बर 2012 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2145)

सीहोर, दिनांक 30 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–147.– इस कार्यालय का आदेश क्र.–परिसमापन–2023–1242, सीहोर दिनांक 06 सितम्बर 2023 के द्वारा पटेल बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, अमलाहा, तहसील व जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1603, दिनांक 07 मार्च 2012 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री आर.सी. रैकवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99–पन्द्रह–1 सी, दिनांक 29 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप–पंजीयक, सहकारी सस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के अंतर्गत पटेल बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, अमलाहा, तहसील व जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1603, दिनांक 07 मार्च 2012 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. इस आदेश के दिनांक से पटेल बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, अमलाहा, तहसील व जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1603, दिनांक 07 मार्च 2012 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2146)

सीहोर, दिनांक 30 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–148.– इस कार्यालय का आदेश क्र.–परिसमापन–2023–600, सीहोर, दिनांक 10 मई 2023 के द्वारा सामुदायिक साख सहकारी संस्था मर्यादित, ढाबला, तहसील व जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1814, दिनांक 06 फरवरी 2014 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री आर.सी. रैकवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित हैं.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–9–पन्द्रह–1 सी, दिनांक 29 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी सस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के अंतर्गत सामुदायिक साख सहकारी संस्था मर्यादित, ढाबला, तहसील व जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1814, दिनांक 06 फरवरी 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. इस आदेश के दिनांक से सामुदायिक साख सहकारी संस्था मर्यादित, ढाबला, तहसील व जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1814, दिनांक 06 फरवरी 2014 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2147)

सीहोर, दिनांक 30 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–149.– इस कार्यालय का आदेश क्र.–परिसमापन–2022–83, सीहोर दिनांक 19 जनवरी 2022 के द्वारा प्राथमिक मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, खजूरियाघेंघी, तहसील इछावर, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1260, दिनांक 27 जुलाई 2007 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री आर.सी. रैकवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित हैं.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99–पन्द्रह–1 सी, दिनांक 29 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप–पंजीयक, सहकारी सस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के अंतर्गत प्राथमिक मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, खजूरियाघेंघी, तहसील इछावर, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1260, दिनांक 27 जुलाई 2007 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. इस आदेश के दिनांक से प्राथमिक मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, खजूरियाघेंघी, तहसील इछावर, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1260, दिनांक 27 जुलाई 2007 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2148)

सीहोर, दिनांक 30 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–150.– इस कार्यालय का आदेश क्र.–परिसमापन–2025–591, सीहोर दिनांक 26 मई 2025 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बालागांव, तहसील भैरुंदा, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1672, दिनांक 29 सितम्बर 2012 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री वैभव सक्सेना, उप–अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित हैं.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99–पन्द्रह 1 सी, दिनांक 29 जुलाई 99 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप–पंजीयक, सहकारी सस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के अंतर्गत प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बालागांव, तहसील भैरुंदा, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1672, दिनांक 29 सितम्बर 2012 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. इस आदेश के दिनांक से प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बालागांव, तहसील भैरुंदा, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1672, दिनांक 29 सितम्बर 2012 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2149)

सीहोर, दिनांक 30 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–151.–इस कार्यालय का आदेश क्र.–परिसमापन–2023–589, सीहोर, दिनांक 9 मई 2023 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मंझेड़ा, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1821, दिनांक 23 जून 2015 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री वैभव सक्सेना, उप–अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण–पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है,

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99–पन्द्रह–1 सी. दिनांक 29 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी सस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के अतंर्गत महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मंझेड़ा, तहसील, श्यामपुर, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1821, दिनांक 23 जून 2015 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. इस आदेश के दिनांक से महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मंझेड़ा, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1821, दिनांक 23 जून 2015 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2150) **सुधीर कैथवास,** प्रभारी उप पंजीयक.

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

भिण्ड, दिनांक 13 फरवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के 57 (सी) के अंतर्गत]

उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड के आदेश क्र.–परि.–2025–868, भिण्ड, दिनांक 29 अक्टूबर 2025, आदेश क्र–परि–2025–871, भिण्ड, दिनांक 29 अक्टूबर 2025, आदेश क्र.–परि.–2025–873, भिण्ड, दिनांक 29 अक्टूबर 2025 एवं आदेश क्र.–परि.–2025–880, भिण्ड, दिनांक 30 अक्टूबर 2025 के अनुसार मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :–

क्र.	संस्था का नाम	कर्मचारी/अधिकारी का नाम एवं पद
(1)	(2)	(3)
1	लक्ष्मी तेल उद्योग सहकारी समिति मर्या., नयागांव	श्री राकेश शर्मा, स. निरीक्षक
2	चंबल घाटी म. सि. उद्योग सहकारी समिति मर्या., भिण्ड	श्री राकेश शर्मा, स. निरीक्षक
3	अम्बे चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., कोंहार	श्री राकेश शर्मा, स. निरीक्षक
4	विजय भारत ईंट उद्योग सहकारी समिति मर्या., मौ	श्री राकेश शर्मा, स. निरीक्षक
5	बौद्ध ईंट भट्टा उद्योग सहकारी समिति मर्या., मालनपुर	श्री राकेश शर्मा, स. निरीक्षक
6	आदर्श बुक बाईडिंग सहकारी समिति मर्या., भिण्ड	श्री राकेश शर्मा, स. निरीक्षक
7	धातु काष्टकला वस्तु निर्माण सहकारी समिति मर्या., भिण्ड	श्री राकेश शर्मा, स. निरीक्षक
8	गणेश बुड क्राफ्ट स्टील उद्योग सहकारी समिति मर्या., भिण्ड	श्री राकेश शर्मा, स. निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
9	चमत्कार चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., सोनी	श्री राकेश शर्मा, स. निरीक्षक
10	आदर्श चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., जलालपुरा	श्री राकेश शर्मा, स. निरीक्षक
11	इंद्र ईंट उद्योग सहकारी समिति मर्या., खोडन	श्री राकेश शर्मा, स. निरीक्षक
12	पत्थर उद्योग सहकारी समिति मर्या., गोहद	श्री राकेश शर्मा, स. निरीक्षक
13	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चंद्रहारा	श्री राकेश शर्मा, स. निरीक्षक
14	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिरखडी	श्री राकेश शर्मा, स. निरीक्षक
15	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नुन्हड	श्री राकेश शर्मा, स. निरीक्षक
16	जयेश्वर म. प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., मेहगांव	श्री राकेश शर्मा, स. निरीक्षक
17	नेहा म. प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., मेहगांव	श्री राकेश शर्मा, स. निरीक्षक
18	राहुल प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., मेहगांव	श्री राकेश शर्मा, स. निरीक्षक
19	हरिओम कोलियान बुनकर सह. संस्था मर्या., भिण्ड	श्री राकेश शर्मा, स. निरीक्षक
20	बुनकर सह. संस्था मर्या., मदनपुरा	श्री राकेश शर्मा, स. निरीक्षक
21	बुनकर सह. संस्था मर्या., मिहोना	श्री राकेश शर्मा, स. निरीक्षक
22	गाँधी बुनकर सह. संस्था मर्या., दवोह	श्री राकेश शर्मा, स. निरीक्षक
23	बुनकर सह. संस्था मर्या., गौअरा	श्री राकेश शर्मा, स. निरीक्षक
24	कम्बल बुनकर सह. संस्था मर्या., नौधा	श्री राकेश शर्मा, स. निरीक्षक
25	शाक्योदय बुनकर सह. संस्था मर्या., लहार	श्री राकेश शर्मा, स. निरीक्षक
26	बुनकर सह. संस्था मर्या., हीरालाल का पुरा	श्री राकेश शर्मा, स. निरीक्षक
27	अन्नापूर्णा बुनकर सह. संस्था मर्या., भिण्ड	श्री राकेश शर्मा, स. निरीक्षक
28	स्नेह नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., लहार	श्री राकेश शर्मा, स. निरीक्षक
29	जे.पी. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., लहार	श्री राकेश शर्मा, स. निरीक्षक

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 71(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई है. अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम–57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय–प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे समक्ष कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे.

समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखा–पुस्तिका में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जान–बूझकर आस्तियों या अभिलेख या रिकोर्ड एवं डेडस्टॉक नहीं सौंपे गए हैं तो सबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी संबंधित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती है तो दावेदार/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षक स्थिति विवरण–पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 13 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई है.

(G-2151) **राकेश शर्मा,** परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

भिण्ड, दिनांक 13 फरवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के 57 (सी) के अंतर्गत]

उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, भिण्ड के आदेश क्र.–परि.–2025–868, भिण्ड, दिनांक 29 अक्टूबर 2025, आदेश क्र.–परि.–2025–870, भिण्ड, दिनांक 29 अक्टूबर 2025, आदेश क्र.–परि.–2025–871, भिण्ड, दिनांक 29 अक्टूबर 2025, आदेश क्र.–परि.–2025–873, भिण्ड, दिनांक 29 अक्टूबर 2025 एवं आदेश क्र.–परि.–2025–880, भिण्ड, दिनांक 30 अक्टूबर 2025 के अनुसार मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:–

क्र.	संस्था का नाम	परिसमापक का नाम एवं पद
(1)	(2)	(3)
1	राष्ट्रीय तेल उद्योग सहकारी समिति मर्या., भगवासा	श्री सुरेश सिंह, स.निरी.
2	राष्ट्रीय तेल उद्योग सहकारी समिति मर्या., बढोखरी	श्री सुरेश सिंह, स.निरी.
3	राष्ट्रीय तेल उद्योग सहकारी समिति मर्या., पुर	श्री सुरेश सिंह, स.निरी.
4	हरिजन तेल उद्योग सहकारी समिति मर्या., मौ	श्री सुरेश सिंह, स.निरी.
5	विनोबा तेल उद्योग सहकारी समिति मर्या,. लहार	श्री सुरेश सिंह, स.निरी.
6	राष्ट्रीय तेल उद्योग सहकारी समिति मर्या., गोहद	श्री सुरेश सिंह, स.निरी.
7	तेल उद्योग सहकारी समिति मर्या., अकलोनी	श्री सुरेश सिंह, स.निरी.
8	आजाद कृषि उपकरण सहकारी समिति मर्या., भिण्ड	श्री सुरेश सिंह, स.निरी.
9	ईंट–भट्टा सहकारी समिति मर्या., परा	श्री सुरेश सिंह, स.निरी.
10	किसान तेल उद्योग सहकारी समिति मर्या., मेंहगांव	श्री सुरेश सिंह, स.निरी.
11	काष्टकला उद्योग सहकारी समिति मर्या., भिण्ड	श्री सुरेश सिंह, स.निरी.
12	आदर्श काष्टकला उद्योग सहकारी समिति मर्या., रौन	श्री सुरेश सिंह, स.निरी.
13	धातु काष्टकला सहकारी समिति मर्या., गितौर	श्री सुरेश सिंह, स.निरी.
14	दुलाई उद्योग सहकारी समिति मर्या., भिण्ड	श्री सुरेश सिंह, स.निरी.
15	दंदरौआ सरकार प्राथ. उप.सह. भण्डार मर्या., मेहगांव	श्री सुरेश सिंह, स.निरी.
16	प्राथमिक सतगुरू यातायात सह. संस्था मर्या., गंगेले का पुरा	श्री सुरेश सिंह, स.निरी.
17	आदर्श गुरू निर्माण सह. संस्था मर्या., भिण्ड	श्री सुरेश सिंह, स.निरी.
18	शिवा सदन गृह निर्माण सहकारी संस्था, मर्या., भिण्ड	श्री सुरेश सिंह, स.निरी.
19	अनुसूचित जाति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	श्री सुरेश सिंह, स.निरी.
20	हरिजन कामगार सहकारी संस्था अकोडा	श्री सुरेश सिंह, स.निरी.
21	रेत खदान उद्योग सह. संस्था मर्या., भिण्ड	श्री सुरेश सिंह, स.निरी.
22	सिलाई उद्योग सह. संस्था मर्या., सिमराव	श्री सुरेश सिंह, स.निरी.
23	बुनकर उद्योग सह. संस्था मर्या., भारौली रोड, भिण्ड	श्री सुरेश सिंह, स.निरी.
24	अगरबत्ती उद्योग सहकारी संस्था मर्या., पचेरा	श्री सुरेश सिंह, स.निरी.

(1)	(2)	(3)
25	शिक्षा विभाग गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., भिण्ड	श्री सुरेश सिंह, स.निरी.
26	व्यावसायिक साख सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	श्री सुरेश सिंह, स.निरी
27	बुनकर उद्योग सह. संस्था मर्या., वार्ड कं 11, भिण्ड	श्री सुरेश सिंह, स.निरी.
28	रोनक बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या., मुडियाखेरा	श्री सुरेश सिंह, स.निरी.
29	पीताम्बरा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सह. संस्था मर्या., भिण्ड	श्री सुरेश सिंह, स.निरी.
30	माँ काली बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या., गडिया	श्री सुरेश सिंह, स.निरी.
31	बुनकर सह. संस्था मर्या., कौंहार	श्री सुरेश सिंह, स.निरी.
32	स्वदेशी बुनकर सह. संस्था मर्या., भिण्ड	श्री सुरेश सिंह, स.निरी.
33	शंकर बुनकर सह. संस्था मर्या., रामनगर, भिण्ड	श्री सुरेश सिंह, स.निरी.
34	बुनकर सह. सस्था मर्या., फूप	श्री सुरेश सिंह, स.निरी.
35	मोमीन बुनकर सह. संस्था मर्या., मौ	श्री सुरेश सिंह, स.निरी.
36	आदर्श बुनकर सह. संस्था मर्या., मौ	श्री सुरेश सिंह, स.निरी.
37	बुनकर सह. संस्था मर्या., लाडमपुरा	श्री सुरेश सिंह, स.निरी.
38	बुनकर सह. संस्था मर्या., भगवासा	श्री सुरेश सिंह, स.निरी.
39	नेहरू बुनकर सह. संस्था मर्या., दवोह	श्री सुरेश सिंह, स.निरी.
40	उषा किरण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	श्री सुरेश सिंह, स.निरी.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय–प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे समक्ष कार्यालय उप–पंजीयक सहकारी संस्थाएं, भिण्ड में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से बंचित होने से दायित्वाधीन होंगे.

समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखा–पुस्तिका में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकोर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सोंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जान–बूझकर आस्तियों या अभिलेख या रिकोर्ड एवं डेडस्टॉक नहीं सौंपे गए हैं तो सबंधित के विरूद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी संबंधित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती है तो दावेदार/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षक स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 13 फरवरी 26 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई है.

(G-2152) **सुरेश सिंह,** परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

भिण्ड, दिनांक 13 फरवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के 57 (सी) के अंतर्गत]

उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, भिण्ड के आदेश क्र.–परि.–2025–868, भिण्ड, दिनांक 29 अक्टूबर 2025, आदेश क्र.–परि.–2025–871, भिण्ड, दिनांक 29 अक्टूबर 2025 एवं आदेश क्र.–परि.–2025–873, भिण्ड, दिनांक 29 अक्टूबर 2025, के अनुसार मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:–

क्र.	संस्था का नाम	परिसमापक का नाम एवं पद
(1)	(2)	(3)
1	धातु काष्टकला वस्तु निर्माण सहकारी समिति मर्या., गोहद	श्री जे.के. शर्मा, अंके. अधि.
2	बढई कुम्हारी ग्रा. काष्टकला वस्तु निर्माण सह. समिति मर्या., कनाथर	श्री जे. के. शर्मा, अंके. अधि.
3	गौतम काष्टकला वस्तु निर्माण सहकारी समिति मर्या., गोरमी	श्री जे.के. शर्मा, अंके. अधि.
4	नवीन रंगाई, छपाई सहकारी समिति मर्या., विरगवां	श्री जे.के. शर्मा, अंके. अधि.
5	नवीन रंगाई, छपाई सहकारी समिति मर्या., सिमार	श्री जे.के. शर्मा, अंके. अधि.
6	श्रमिक साबुन उद्योग सहकारी समिति मर्या., मेहगांव	श्री जे.के. शर्मा, अंके. अधि.
7	आदर्श तेल उद्योग सहकारी समिति मर्या., भिण्ड	श्री जे.के. शर्मा, अंके. अधि.
8	उन्नति चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या. ,भिण्ड	श्री जे.के. शर्मा, अंके. अधि.
9	धातु काष्टकला सहकारी समिति मर्या., घमूरी	श्री जे.के. शर्मा, अंके. अधि.
10	उन धातु काष्टकला सहकारी समिति मर्या., भिण्ड	श्री जे.के. शर्मा, अंके. अधि.
11	दाल–चावल उद्योग सहकारी समिति मर्या., भिण्ड	श्री जे.के. शर्मा, अंके. अधि.
12	ईंट–भट्टा उद्योग सहकारी समिति मर्या., सर्वा	श्री जे.के. शर्मा, अंके. अधि.
13	चमत्कार चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., खडीत	श्री जे.के. शर्मा, अंके. अधि.
14	चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., अटेर	श्री जे.के. शर्मा, अंके. अधि.
15	जय दुर्गे महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था मर्या., सोनी	श्री जे.के. शर्मा, अंके. अधि.
16	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुकाण्ड	श्री जे.के. शर्मा, अंके. अधि.
17	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देहगांव.	श्री. जे. के. शर्मा, अंके. अधि.
18	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सायना	श्री. जे. के. शर्मा, अंके. अधि.
19	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गहेली	श्री जे.के. शर्मा, अंके. अधि.
20	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कनाथर	श्री जे.के. शर्मा, अंके. अधि.

(1)	(2)	(3)
21	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बहुआ	श्री जे.के. शर्मा, अंके. अधि.
22	गांधी बुनकर सहकारी संस्था मर्या., सुंदरपुरा, भिण्ड	श्री जे.के. शर्मा, अंके. अधि.
23	आदर्श बुनकर सह. संस्था मर्या., शिवहरे का पुरा भिण्ड	श्री जे.के.शर्मा, अंके. अधि.
24	संत कबीर बुनकर सह. संस्था मर्या., भिण्ड	श्री जे. के. शर्मा, अंके. अधि.
25	चेतन बुनकर सह. संस्था मर्या., भिण्ड	श्री जे.के. शर्मा, अंके. अधि.
26	अल्पसंख्यक हथकरघा कालीन बुनकर सह. संस्था मर्या., मौ	श्री जे.के. शर्मा, अंके. अधि.
27	वारसी बुनकर सह. संस्था मर्या., लपवाहा	श्री जे.के. शर्मा, अंके. अधि.
28	गिर्राज बुनकर सह. संस्था मर्या., कनाथर	श्री जे.के. शर्मा, अंके. अधि.
29	आदर्श बुनकर सह. संस्था मर्या., बाराकलां	श्री जे. के. शर्मा, अंके. अधि.
30	प्राथमिक महिला बुनकर सह. संस्था मर्या., गोहद	श्री जे.के. शर्मा, अंके. अधि.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसंमापक में वेष्ठित हो गई हैं अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय–प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे समक्ष कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, भिण्ड में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे.

समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखा–पुस्तिका में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकोर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सोंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जान बूझकर आस्तियों या अभिलेख या रिकोर्ड एवं डेडस्टॉक नहीं सोंपे गए हैं तो सबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी संबंधित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदार/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षक स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 13 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(G-2153) **जे.के. शर्मा,** परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश

मन्दसौर, दिनांक 27 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–344.– महिला गृह उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित दलौदा, तहसील दलौदा, जिसका पंजीयन क्रमांक 893, दिनांक 8 नवम्बर 2007 है. आदेश में इसे मात्र संस्था शब्द से संबोधित किया जावेगा. कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2311, मंदसौर, दिनांक 8 दिसम्बर 2025 के द्वारा संस्था को परिसमापनाधीन लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत आदेश पारित कर श्री आर.एस. मेहर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल एवं संभागीय कार्यालय, उज्जैन द्वारा यथासमय प्रकाशित निर्देश और नियमित विडीयो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रदत्त निर्देश के पालन में निर्मित कार्ययोजना अनुसार सतत् रूप से परिसमापक को निर्देशित किया गया. दिनांक 16 दिसम्बर 2025 को दैनिक समाचार–पत्र दैनिक ध्वज के माध्यम से सदस्यों को सूचित किये जाने के उपरांत भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति अथवा लेखी आवेदन–पत्र कार्यालय में प्रस्तुत नहीं हुआ.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. संलग्न वित्तीय पत्रकों में लेनदारी एवं देनदारी दोनों पक्षों को शून्य किया गया. प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन का नियमित अंकेक्षण कराया गया और परीक्षण भी कराया गया. अंकेक्षण एवं परीक्षण के दौरान भी पंजीयन निरस्ती की प्रक्रिया हेतु अनुशंसा की गई.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, परमानंद गोडरिया, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र.–एफ 5–1–99–पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(G-2154)

मन्दसौर, दिनांक 27 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–345.– मसाला उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, दलौदा तहसील दलौदा जिसका पंजीयन क्रमांक 871 दिनांक 8 जनवरी 2017 है. आदेश में इसे मात्र संस्था शब्द से संबोधित किया जावेगा. कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2312, मंदसौर, दिनांक 8 दिसम्बर 2025 के द्वारा संस्था को परिसमापनाधीन लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत आदेश पारित कर श्री आर.एस. मेहर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल एवं संभागीय कार्यालय उज्जैन द्वारा यथासमय प्रकाशित निर्देश और नियमित विडीयो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रदत्त निर्देश के पालन में निर्मित कार्ययोजना अनुसार सतत् रूप से परिसमापक को निर्देशित किया गया. दिनांक 16 दिसम्बर 2025 को दैनिक समाचार–पत्र दैनिक ध्वज के माध्यम से सदस्यों को सूचित किये जाने के उपरांत भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति अथवा लेखी आवेदन–पत्र कार्यालय में प्रस्तुत नही हुआ.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. संलग्न वित्तीय पत्रकों में लेनदारी एवं देनदारी दोनों पक्षों को शून्य किया गया. प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन का नियमित अंकेक्षण कराया गया और परीक्षण भी कराया गया. अंकेक्षण एवं परीक्षण के दौरान भी पंजीयन निरस्ती की प्रक्रिया हेतु अनुशंसा की गई.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, परमानंद गोडरिया, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रं एफ 5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26.07.1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(G-2155)

मन्दसौर, दिनांक 27 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–346.– शिवा स्व–सहायता समूह महिला सहकारी संस्था मर्यादित, मंदसौर, तहसील मंदसौर जिसका पंजीयन क्रमांक यु.जे.एन. 08, दिनांक 20 जनवरी 2015 है. आदेश में इसे मात्र संस्था शब्द से संबोधित किया जावेगा. कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2307, मंदसौर दिनांक 08 दिसम्बर 2025 के द्वारा संस्था को परिसमापनाधीन लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत आदेश पारित कर श्री आर. एस. मेहर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल एवं संभागीय कार्यालय, उज्जैन द्वारा यथासमय प्रकाशित निर्देश और नियमित विडीयो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदत्त निर्देश के पालन में निर्मित कार्ययोजना अनुसार सतत् रूप से परिसमापक को निर्देशित किया गया. दिनांक 16 दिसम्बर 2025 को दैनिक समाचार–पत्र" दैनिक ध्वज" के माध्यम से सदस्यों को सूचित किये जाने के उपरांत भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति अथवा लेखी आवेदन–पत्र कार्यालय में प्रस्तुत नही हुआ.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. संलग्न वित्तीय पत्रकों में लेनदारी एवं देनदारी दोनों पक्षों को शून्य किया गया. प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन का नियमित अंकेक्षण कराया गया और परीक्षण भी कराया गया. अंकेक्षण एवं परीक्षण के दौरान भी पंजीयन निरस्ती की प्रक्रिया हेतु अनुशंसा की गई. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, परमानंद गोडरिया, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र.–एफ 5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(G-2156)

परमानंद गोडरिया, उप रजिस्ट्रार.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, मर्या. 34 संस्थाएं, (समस्त), जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश

मन्दसौर, दिनांक 7 फरवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अंतर्गत]

परिसमापन वाली संस्थाएं, जिला मन्दसौर

क्र.–क्यू.–2026.– निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं के नाम के सम्मुख दर्शित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक है, को उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाऐं, जिला मन्दसौर के आदेश क्रमांक (संस्था के नाम के आगे वर्णित आदेश क्रमांक एवं दिनांक) के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे वर्तमान में परिसमापक नियुक्त किया गया:–

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	आदेश क्र. व दिनांक	तहसील	जिला	आपत्ति प्रस्तुत करने का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, दौलतपुरा.	1131, 20.10.2014	193, 16.01.2026	मंदसौर	मंदसौर	कार्यालय, उप आयुक्त, सहकारिता मित्र वत्सला भवन, रामटेकरी कॉर्नर जिला मन्दसौर
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बडौद.	541, 25.03.1991	200, 16.01.2026	सीतामऊ	मंदसौर	–
3.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गवासिया	1161, 20.10.2014	228, 16.01.2026	मंदसौर	मंदसौर	–
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, झलारा.	448, 19.10.1987	231, 16.01.2026	सीतामऊ	मंदसौर	–
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, महुआ.	599, 04.10.1991	233, 16.01.2026	सीतामऊ	मंदसौर	–
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, ताजखेडी.	499, 21.08.1999	234, 16.01.2026	मंदसौर	मंदसौर	–
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उदपुरा.	1261, 08.04.2015	235, 16.01.2026	मंदसौर	मंदसौर	–
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, धतुरिया.	990, 03.02.2019	237, 16.01.2026	मंदसौर	मंदसौर	–
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, शिवगढ़.	902, 04.11.2008	242, 16.01.2026	सीतामऊ	मंदसौर	–
10.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नाहरगढ़.	443, 19.10.1987	243, 16.01.2026	सीतामऊ	मंदसौर	–
11.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लामगरी.	1263, 08.04.2015	254, 16.01.2026	मंदसौर	मंदसौर	–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भरडावद.	652, 13.10.1992	255, 16.01.2026	मंदसौर	मंदसौर	–
13.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, निरधारी.	968, 24.02.2012	256, 16.01.2026	मंदसौर	मंदसौर	–
14.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, राणाखेड़ा.	543, 25.03.1991	257, 16.01.2026	मंदसौर	मंदसौर	–
15.	श्री कृष्ण महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रीछा.	1209, 17.03.2015	269, 16.01.2026	मल्हारगढ़	मंदसौर	–
16.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गुडभेली.	1118, 26.10.2014	272, 16.01.2026	मंदसौर	मंदसौर	–
17.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, धतुरिया.	990, 03.02.2019	273, 16.01.2026	मंदसौर	मंदसौर	–
18.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सेमली– 3.	1304, 27.04.2015	170, 16.01.2026	मंदसौर	मंदसौर	–
19.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रिन्दवन.	1159, 20.10.2014	184, 16.01.2026	मंदसौर	मंदसौर	–
20.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नेतावली.	452, 09.11.1987	190, 16.01.2026	मंदसौर	मंदसौर	–
21.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, फतेहगढ़.	437, 19.10.1987	176, 16.01.2026	सीतामऊ	मंदसौर	–
22.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कयामपुर.	440, 19.10.1987	178, 16.01.2026	सीतामऊ	मंदसौर	–
23.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सूरी.	446, 19.03.1987	185, 16.01.2026	मंदसौर	मंदसौर	–
24.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गुडभेली.	1118, 26.10.2014	187, 16.01.2026	मंदसौर	मंदसौर	–
25.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पटलावद.	605, 04.10.1991	189, 16.01.2026	मंदसौर	मंदसौर	–
26.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भालोट–2.	1127, 20.10.2014	204, 16.01.2026	मंदसौर	मंदसौर	–
27.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भौलिया–2.	1152, 20.10.2014	214, 16.01.2026	मंदसौर	मंदसौर	–
28.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मुआला.	1157, 10.08.2020	215, 16.01.2026	सीतामऊ	मंदसौर	–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रणायरा.	1447, 27.10.2016	217, 16.01.2026	सीतामऊ	मंदसौर	–
30.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चिपलाना.	1448, 29.10.2014	216, 16.01.2026	मंदसौर	मंदसौर	–
31.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, असावती.	970, 24.08.2012	232, 16.01.2026	गरोठ	मंदसौर	–
32.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बेलारा.	1281, 13.04.2015	229, 16.01.2026	मल्हारगढ़	मंदसौर	–
33.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, ऐरी.	1115, 20.10.2014	201, 16.01.2026	गरोठ	मंदसौर	–
34.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, धलपट.	700, 07.07.1993	194, 16.01.2026	सीतामऊ	सीतामऊ	–

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 62 के नियम क्रमांक 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना–पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अंदर मय–प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से कार्यालयीन समय पर मुझे प्रस्तुत करें निर्धारित समयावधि में तथा साक्ष्यों से समर्थित दावा प्रस्तुत न होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं किया जावेगा या संस्था की अद्यतन लेखापुस्तक के आधार पर दायित्व का भुगतान किया जावेगा.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 7 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2157) **अर्पित शर्मा,** सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2026.

इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च 2026–फाल्गुन 22, शक 1947

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाऐं

(कुछ नहीं)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2026.